[43]

**अनुकम्पा के मामले, एक लाख व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध कराने एवं सामान्य प्रशासन के संबंध में दिनांक 13-6-90 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की कार्यवाही ।**

दिनांक 13-6-90 को राज्य के सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों की एक बैठक मुख्य सचिवालय भवन में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की । बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुए एवं निर्देश दिए गए :-

**1. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लम्बित मामलों का अविलम्ब निस्तार :-**

मुख्य सचिव ने सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि अनुकम्पा के मामले, जिनमें ज्यादा से ज्यादा शीघ्रता से कार्रवाई की आवश्यकता है, अति विलम्ब से निष्पादित होते हैं । सभी विभागों एवं जिलों में गठित अनुकम्पा-समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होनी है जो शायद ही कहीं नियमित रूप से होती है । उन्होंने इस पर बल दिया कि शीघ्र निष्पादन का अर्थ नियमों को तोड़कर नियुक्ति करना नहीं है । नियमानुकूल मामलों में अविलम्ब कार्रवाई पूरी करनी है । प्रशासन को संबेदनशील होना चाहिए ।

पदाधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

(क) वित्त विभाग द्वारा नई नियुक्तियों पर जो रोक लगाई गई है उसे मात्र अनुकम्पा के मामलों में शिथिल समझा जाय । औपचारिक आदेश वित्त विभाग द्वारा शीघ्र निर्गत किया जाएगा ।

(ख) बिहार शिक्षा सेवा की चल रही हड़ताल के कारण जिला शिक्षा अधीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु संबंधित जिला विकास पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त को प्राधिकृत किया जाएगा ताकि नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर हो सके । मानव संसाधन विकास विभाग इस हेतु की अधिसूचना निर्गत करेंगे ।

(ग) तत्काल अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ करने हेतु केवल तीन को सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है — विभागीय सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी । इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्ति करने में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के आलोक में इन शक्तियों को उन पदाधिकारियों को भी दिए जाने के बिन्दु पर शीघ्र विचार कर निर्णय लिया जायगा जो अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सामान्य रूप से नियुक्तियाँ करने में सक्षम हैं । इसमें केन्द्र सरकार के प्रावधान एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखा जायगा, जिनके बारे में बताया गया कि वे नियम सरल एवं प्रभावकारी हैं ।

(घ) मानव संसाधन विकास विभाग में मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति शिक्षक के पद पर किए जाने हेतु अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित रहने की अर्हता को संशोधित किए जाने पर समुचित रूप से विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जायगा ।

(च) राज्य मुख्यालय स्थित सभी विभागों के अधीनस्थ अनुकम्पा के वैसे सभी मामलों में जो नियमानुकूल हों, नियुक्ति पत्रों का वितरण संभवत: मुख्यमंत्री द्वारा 16-6-90 को कराया जायगा । अत: सभी संबंधित पदाधिकारीगण इस हेतु की औपचारिकताएँ एवं प्रक्रियाएँ समय रहते पूरी कर लें । विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे मामलों की संख्या निम्न प्रकार बताई गई :- पथ निर्माण-11, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण-51, मानव संसाधन विकास-6, वन एवं पथ निर्माण-35 (परन्तु अधिकतर को क्षेत्र से बुलाना होगा), सहकारिता-46, योजना-2, कल्याण-1) ।

जल संसाधन विभाग एवं लघु सिंचाई विभागों से कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए जिस पर मुख्य सचिव ने खेद प्रकट किया ।

(छ) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त अपने-अपने अधीनस्थ सभी जिलों में उपर्युक्त अनुसार ही नियुक्ति पत्रों को वितरित करने की कार्रवाई 25 जून तक पूरी करके 30 जून तक सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को एक प्रतिवेदन निम्न प्रकार भेजेंगे :-

| क्रम संख्या | जिले का नाम | कुल लंबित मामले | अस्वीकृत की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| छानबीन के अंतर्गत की संख्या | स्वीकृत की संख्या | वितरित नियुक्ति पत्रों की संख्या | अभ्युक्ति |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर एक समेकित प्रतिवेदन मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे ।

2 . **राज्य में एक लाख व्यक्तियों को नियोजन के अवसर प्रदान करना :**

मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार राज्य की जनसंख्या में एक ओर जहाँ तेजी से वृद्धि हो रही है, स्कूल, कालेज एवं तकनीकी महाविद्यालयों से पढ़े-लिखे एवं प्रशिक्षित व्यक्ति नौकरी की खोज में उसी अनुसार बढ़ती हुई संख्या में आ रहे हैं, दूसरी ओर उनके समक्ष रोजगार प्रदान किये जाने के अवसरों में वृद्धि उस अनुपात में नहीं हो रही है । फलस्वरूप पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन आशातीत गति से बढ़ती जा रही है । इस भीषण महँगाई और बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि अधिकतम योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को जीविका के साधन उपलब्ध करायें । ऐसा नहीं होने से सरकार एवं व्यवस्था के प्रति जन-आक्रोश बढ़ता है । इसके फलस्वरूप हड़ताल, बिगड़ती विधि-व्यवस्था, असामाजिक कार्यों आदि में वृद्धि होती है । इनके आलोक में मुख्य मंत्री ने दिनांक 5-6-90 को यह घोषणा की है कि इस वर्ष इस राज्य के एक लाख शिक्षित युवक-युवतियों को सघन प्रयास द्वारा रोजगार दिलवाने का प्रयत्न किया जायेगा । सरकार को विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है।

इधर यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि नियुक्तियाँ करने से पदाधिकारी कतराते हैं । इसके दो कारण हो सकते हैं – या तो वे इस संबंध की जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं अथवा बैक-डोर एंट्री द्वारा, नियम विरुद्ध, चुने हुए व्यक्तियों को दैनिक मजदूरी अथवा मास्टर रौल पर रखना चाहते हैं एवं रखे रहते हैं । दूसरी ओर, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने पर कार्मिकों की कमी को आधार बताया जाता है । अत: ऐसी रिक्तियों को भरा जाय। इस हेतु यदि नियमों का संशोधन अथवा सरलीकरण करना आवश्यक होगा तो वह किया जायगा ।

इस संबंध में विमर्शोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

(क) उपर्युक्त एक लाख के लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के अन्तर्गत की, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत की, राज्य एवं केन्द्र के बिहार अवस्थित लोक उपक्रमों की एवं निजी क्षेत्रों की नौकरियों को शामिल किया जाय । इसके अतिरिक्त स्व-नियोजन एवं स्व-रोजगार, जो सरकारी सहायता से स्थापित किया जाय, को भी इसमें शामिल किया जाय ।

(ख) इस कार्यक्रम हेतु श्रम विभाग नोडल विभाग होगा ।

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कठिनाइयाँ हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस संबंध में प्रत्येक प्रमण्डलीय आयुक्त एक प्रतिवेदन मुख्य सचिव को भेजेंगे ।

(घ) उपरोक्त के लिए सभी जिलाधिकारी एवं प्रमण्डलीय आयुक्त अपने क्षेत्र में अवस्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों, केन्द्र सरकार के कार्यालयों, लोक उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निजी उद्योगों से सम्पर्क कर या बैठक बुलाकर यह देखें कि कितनी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं एवं इन पर बिहार अधिवासियों को किस प्रकार शीघ्र नियोजन उपलब्ध कराया जा सकता है ।

(च) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एक जिलावार विवरण एवं कार्यक्रम इस संबंध में बनाकर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक भेजेंगे । इस आधार पर पन्द्रह अगस्त तक राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयाम (डाइमेंशन) तथा प्रयासों की दिशा सुनिश्चित हो सकेगी । इसके आधार पर पुन: सभी जिलाधिकारियों, प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं विभागीय सचिवों की एक बैठक अगस्त के तीसरे या चौथे सप्ताह में बुलाई जाएगी ।

(छ) नियोजनालयों के आँकड़े एकत्रित करने संबंधी प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाया जाय । इनके लाईव-रजिस्टर के अनुसार इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है परन्तु इस आधार पर दिए गए नियोजनों की संख्या नगण्य बताई जाती है क्योंकि नियमानुसार नियोजकों द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या का जो फीड-बैक नियोजनालयों को दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जाता है । नियोजनालयों द्वारा भी इस संबंध में कोई चेष्टा नहीं की जाती है । इस प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाया जाना होगा ।

(ज) इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक जिले में एक टास्क-फोर्स का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाय । इसके सदस्य-सचिव श्रम विभाग के पदाधिकारी रहेंगे । समिति में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कुछ विभागों, लोक उपक्रमों एवं बड़े एवं मध्यम निजी उद्योगों के स्वामियों को जिलाधिकारी अपने विवेक से सदस्य बना सकते हैं । समिति की बैठक प्रति माह कम से कम एक बार अवश्य की जायगी । संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह श्रम विभाग को भेजा जाएगा जिसके लिए प्रपत्र श्रम विभाग द्वारा तैयार कर सभी को अविलम्ब प्रेषित किया जायगा ।

(झ) राज्य स्तर पर भी इस कार्यक्रम के मोनिटरिंग के लिए एक टास्क-फोर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा जिसके सदस्य-सचिव श्रम विभाग के सचिव होंगे । वे इस समिति के गठन एवं कृत्यों के संबंध में एक प्रस्ताव अविलंब मुख्य सचिव को देंगे ।

3. **अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले :**

राज्य सरकार ने प्रशासन में चुस्ती लाने एवं दृढ़तापूर्वक कार्य संपादित किए जाने के उद्देश्य से यह प्रावधान रखा है कि वैसे कार्मिकों जिनकी सेवा 30 वर्ष की हो अथवा वे 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों, को समुचित आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कराया जा सकता है । परन्तु इस संबंध में कहीं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं । सरकार वेतन एवं सुविधाएँ देती हैं तो बदले में चुस्ती, लगन, परिश्रम एवं ईमानदारी से कार्य करने की अपेक्षा रखती है । जो भी कार्मिक इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे हों उन पर अनुकम्पा करने की आवश्यकता नहीं है । प्रशासक को राज्य का हित सदैव सर्वोपरि रखना है । अत: प्रत्येक जिलाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं विभागीय सचिवों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध की समीक्षा अविलम्ब करके ऐसे सभी मामलों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव सरकार को भेजेंगी ।

4. **सामान्य प्रशासन संबंधी निर्देश :**

(क) सरकार ने सभी स्तर के पदाधिकारियों के लिए अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु कड़े निर्देश एवं मापदण्ड पूर्व में निर्धारित कर रखे हैं। परन्तु हाल में यह प्रणाली मृतप्राय हो गई है। जो निरीक्षण होते भी हैं वे अधिकतर खानापूर्त्ति हेतु एवं उनपर वरीय पदाधिकारियों की टिप्पणियाँ तो नहीं ही भेजी जाती हैं।

किसी भी कार्यालय का निरीक्षण उसका अर्ध-अंकेक्षण होना चाहिए। पदाधिकारी को गहराई में जाना चाहिए। निरीक्षण के हर बिन्दु पर त्रुटियों को बताते हुए समुचित निर्देश अंकित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब भी निरीक्षण-प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को जायें तो उस पर दिशा-निर्देश के रूप में, टिप्पणी की गुणवत्ता एवं गहराई पर उच्चाधिकारी का मंतव्य अवश्य संसूचित किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही संबंधित कार्यालय निरीक्षण हेतु तैयारियाँ करेगा, बहुत-से लम्बित बिन्दुओं का उसी क्रम में अनुपालन होगा और कार्यालय में चुस्ती आएगी। निरीक्षणों से बचने का प्रयास नहीं करें, बल्कि इसे उत्साह से करें।

(ख) रूटीन मामलों की चुस्ती एवं दक्षता से ही प्रशासन की चुस्ती एवं दक्षता परिलक्षित होती है। इसी से पदाधिकारियों एवं कार्यालयों पर नियंत्रण प्रभावकारी होता है। औचक निरीक्षण करने पर पदाधिकारियों द्वारा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। पूरे प्रशासन तंत्र को सजग एवं दुरुस्त रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(ग) इधर क्षेत्र के वरीय पदाधिकारियों में नियमित रूप से एवं नियमित समय पर कार्यालय जाने की प्रवृत्ति कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसा होने से न केवल प्रशासन-तंत्र ढीला पड़ जाता है बल्कि जनसाधारण को अपने सामान्य कामों के लिए बराबर सरकारी दफ्तरों का अनावश्यक रूप से चक्कर लगाना पड़ता है। इससे बिचौलिए पैदा होते हैं और प्रशासन की छवि गिरती है। अतः सभी पदाधिकारी, विशेषकर क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमित समय एवं दिन को अवश्य कार्यालय जाएँ, आवासीय प्रकोष्ठ में कार्यालय समय में सामान्यतया नहीं बैठें। तभी वे जनसाधारण को सुलभ हो सकेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत हो सकेंगे।

(घ) पदाधिकारीगण प्रत्येक तिमाही का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम बनाकर अधीनस्थ एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचित करें। तदनुसार निरीक्षण-कार्यक्रमों का अनुपालन अवश्य करें। यदा कदा, आवश्यकतानुसार कार्यक्रम को अंतिम समय में रद्द भी करना पड़ सकता है। परन्तु चेष्टा करने पर कम-से-कम 75 प्रतिशत कार्यक्रम को पूरा किया जा सकता है।

इसी प्रकार वरीय पदाधिकारियों को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ एवं सुझाव नियमित रूप से भेजने चाहिए।

सभी विभागीय सचिवों द्वारा, जिनके क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षी पदाधिकारी जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन नहीं रहते हैं, निरीक्षण-प्रक्रिया को प्रभावकारी एवं चुस्त बनाने की कार्रवाई अविलम्ब प्रारंभ की जानी चाहिए।

5. **अन्यान्य :**

(क) आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल ने कहा कि कुछ माह पूर्व की एक राज्य स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया था कि सभी जिलाधिकारी एवं आयुक्तों को एक-एक फोटो कॉपियर मशीन दी जाएगी। यह अभी तक नहीं दी गई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध की स्थिति से अविलम्ब अवगत कराने का निदेश अपर सचिव, राजस्व विभाग को दिया।

(ख) कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि पी०एल० एकाउन्ट से रुपया निकासी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटा दिया जाय। मुख्य सचिव ने बताया कि इसे हटा लिया गया है। अब मार्च, 90 में लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं है।

(ग) जिलाधिकारी, नवादा ने कहा कि राजकीय नलकूपों के रख-रखाव हेतु जो निधि दी जानी थी वह अभी तक नहीं दी गई है। मुख्य सचिव ने लघु सिंचाई विभाग के सचिव से जानकारी लेनी चाही, परन्तु विभाग की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं थे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इस तथ्य को अभिलिखित कर दिया जाय। सचिव, लघु सिंचाई विभाग इस संबंध की स्थिति का प्रतिवेदन मुख्य सचिव को भेजेंगे।

6. धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात सभा समाप्त की गई।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सचिव
कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग।

**ज्ञाप संख्या-3/एल 2-1-201/87 का० 7228**

पटना-15, दिनांक 18 जून, 1990
ज्येष्ठ, 1912 (श०)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो / सभी विभागीय सचिवों / विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलीय आयुक्तों / जिलाधिकारियों / अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सचिव
कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग।

ज्ञाप संख्या-3/एल 2-1-201/87 का० 7228

पटना-15, दिनांक 18 जून, 1990
ज्येष्ठ, 1912 (श०)

प्रतिलिपि :- सदस्य, राजस्व पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सचिव

------

**[ 44 ]**

**पत्रांक-3/एल 2-1-20/87 का०-6774**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 6 जून, 1990

**विषय :- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु लम्बित मामलों का निष्पादन करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

सरकार के समक्ष यह बात आयी है कि सरकारी आदेशों के बावजूद अनुकम्पा के आधार पर सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के मामले में ढिलाई बरती जा रही है । काफी समय से आवेदन प्राप्त हैं किन्तु कार्यालयों में वे लम्बित रह गए हैं । इसके कारण सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के परिवार को जो सुविधा उपलब्ध करायी गयी है वह प्राप्त नहीं होती है । सरकार का यह स्पष्ट निर्णय है कि सरकारी नीति का कड़ाई से पालन किया जाय ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं । इस संदर्भ में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 8659 दिनांक 8 जुलाई, 1988 की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत निदेश दिया गया था कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में विलम्ब न हो, इस हेतु अनुकम्पा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से आयोजित कर, विहित नियमों का पूर्णत: पालन करते हुये, अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई हरेक तिमाही के अंतिम सप्ताह तक पूरी की जाय ।

3. सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि राज्य मुख्यालय के सभी विभागों में इस विषय की पूरी समीक्षा कर जितने भी पद रिक्त हों उनपर दिनांक 15-6-90 तक नियुक्ति की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाय । यह भी निर्णय लिया गया है कि 15 से 18 जून के बीच में लोकनायक की प्रतिमा के पास एक समारोह कर ऐसे सभी लोगों को मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जायगा ।

4. अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर पर अभिरुचि लेकर इस काम को समय-सीमा के अन्तर्गत पूरा किया जाय । दिनांक 13-6-90 को 12 बजे दिन में इस विषय पर एक बैठक होगी जिनमें नियुक्त होने वालों की सूची की समीक्षा की जायेगी और होनेवाले समारोह की रूपरेखा को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- कमला प्रसाद
सरकार के मुख्य सचिव ।
पटना, दिनांक 6 जून, 1990

ज्ञाप संख्या-3/एल 2-1-20/87 का०-6774

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री सचिवालय को उनके गै०स०प्रे० संख्या 11436 दिनांक 19-4-90 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/- ए० के० चौधरी
सरकार के सचिव ।

------

**[ 45 ]**

**पत्र संख्या-3/एम 1-1069/88 का०-3955**

**बिहार सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

प्रेषक,

श्री जी०आर० पटवर्धन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो / सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । (तीन-तीन प्रतियों में)

पटना-15, दिनांक 10 अप्रील, 1990 (चैत, 1912/श०)

विषय :- **सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-1509 ( एल०एल० )/1987 में दिये गये निर्णय के आलोक में राजकीय उपक्रमों एवं सरकार के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के समायोजन हेतु निदेश ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय पर कहना है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ द्वारा अपने उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने निगम की सेवा में लगातार 240 दिन पूरे कर लिए हों, को नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित किए जाने हेतु इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल, पटना में एक केस दायर किया गया था । अन्तत: यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया । उसने सिविल अपील संख्या 1509/एल०एल०/1987 में अपने दिनांक 16-12-87 के निर्णय में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित आदेश पारित किया :-

"Following the above decisions we direct the respondent - Corporation to prepare a reasonable scheme for regularisation of the casual labourers who have been working for more than one year......"

उपरोक्त आदेश पर मामले की समीक्षा कर इस पर महाधिवक्ता एवं विधि विभाग की राय प्राप्त की गई ।

2. इसके अतिरिक्त पटना उच्च न्यायालय (राँची बेंच) द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 1387/83/आर (महेन्द्र राम बनाम उपायुक्त, पलामू) में दिनांक 22-11-88 को निम्न प्रकार का निर्णय दिया गया है :-

"Art. 16 of the Constitution guarantees to every citizen equality of opportunity in matters relating to employment appointment to any office under the State. The Article makes it clear that not only must, citizens have opportunity in matters relating to employment or appointment to any office under the State, such opportunity must also be equal. This is the Constitutional mandate. If an appointment is made in breach of the provisions of Article 16 of the Constitution, such appointment is not irregular but is invalid, and, if brought to the notice of a Court, the same must be quashed. Where a person gains entry through the back door and continues in service, and then by

reason of such continuance claims regularisation, the matter has to be viewed in the light of the provisions of Art. 16 of the Constitution. If the appointment itself was void, there can be no question of regularisation of such an appointment. It is our judicial experience that Art. 16 in this State is observed more in its breach. Appointments are made initially for temporary period but thereafter continued, sometimes under specific orders and sometimes without any order being passed. After sometime the appointee claims that by reason of his continuous officiation against a post, he should be regularised. Art. 16 is breached with such impunity that one cannot possibly ignore the phenomenon. I, therefore, come to the conclusion that the appointment of the petitioner being in breach of Art. 16 of the Constitution was an invalid appointment which did not confer any legal right on the petitioner. Since the appointment was invalid it could not be regularised."

3. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 3001 दिनांक 16-3-82 के अनुसार सरकार का यह निर्णय है कि कोई भी नियुक्ति जिसमें दैनिक भत्ते पर की गयी नियुक्ति भी सम्मिलित है, में निर्धारित प्रक्रिया एवं आरक्षण के सिद्धान्त का अनुपालन अनिवार्य है। इसके विपरीत की जानेवाली किसी भी नियुक्ति को रोकने का पूरा उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष / नियुक्ति पदाधिकारियों पर होगा। उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न जिलों के लिए जो आरक्षण कोटा निर्धारित है उसे विभिन्न दांवपेंच के द्वारा विफल करने का प्रयास नहीं किया जाय और जो पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय तथा अनियमित नियुक्तियों और आरक्षित पदों के विरुद्ध अनारक्षित नियुक्तियों को रद्द किया जाय।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 284 दिनांक 13-5-85 के सरकार के संकल्प के अनुसार प्राधिकारों एवं निगमों में आरक्षण से संबंधित रोस्टर पंजी में क्लियरेंस देने का अधिकार लोक उद्यम ब्यूरो को सौंपा गया है। प्रत्येक स्तर पर एक कैलेन्डर वर्ष में होने वाली वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों के संबंध में रोस्टर पंजी अद्यतन कर संबंधित प्राधिकार / निगम / उपक्रम उसे लोक उद्यम ब्यूरो को भेजेगा। लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध अनुदेशों के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस किया जायगा। ब्यूरो द्वारा दिए गए क्लियरेंस के अनुसार ही संबंधित कैलेन्डर वर्ष में रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जायगी। यदि किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने की आवश्यकता होगी तो संबंधित प्राधिकार / निगम / उपक्रम अपना प्रस्ताव लोक उद्यम ब्यूरो को भेजेगा। ब्यूरो द्वारा जाँचोपरांत प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। तत्पश्चात उसमें आरक्षण आयुक्त के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। अनारक्षण का प्रस्ताव भेजते समय क्लियर किये गए रोस्टर पंजी की एक प्रति संचिका में अवश्य रखी जायगी।

5. उपर्युक्त संकल्पों एवं निर्देशों के आलोक में परामर्श दिया जाता है कि सर्वप्रथम वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर एवं 1990 की सम्भावित रिक्तियों पर रोस्टर क्लियरेंस का कार्य उपर्युक्त कंडिका संख्या-3 के अनुसार कराया जाय। तत्पश्चात नियुक्ति की विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्राप्त कर नियुक्ति हेतु पैनेल तैयार किया जाय। तब रोस्टर बिन्दु के अनुसार नियुक्तियाँ की जायें। इसमें तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के क्रमशः परिपत्र संख्या 16440 तथा 16441 दिनांक 3-12-80 अथवा

निगमों / प्राधिकारों आदि को लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जो भी इस संबंध के निर्देश दिए गए हों उनका अनुपालन और उसमें निरूपित प्रक्रिया का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय ।

6. नियुक्ति हेतु जो पैनेल बने उसमें सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर अंकित निर्देश के आलोक में लगातार 240 दिनों से अधिक कार्यरत होने वाले कार्यकर्त्ताओं को, यदि अन्य बिन्दु समान हों और आरक्षण नीति का उल्लंघन नहीं होता हो, तो नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय । परन्तु आरक्षण नीति के विरुद्ध कोई भी प्राथमिकता अनुमान्य नहीं होगी ।

7. सभी आयुक्त सह सचिवों / सचिवों / विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से इस परिपत्र की प्रतिलिपि अपने अधीनस्थ सभी निगमों / प्राधिकारों / उपक्रमों / स्वशासी संस्थाओं, जैसे नगरपालिकाओं आदि, को संसूचित करने का कष्ट करेंगे ।

8. पत्र-प्राप्ति की सूचना कृपया दी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- जी०आर० पटवर्धन
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-का० 3955 दिनांक 10-4-90

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारियों / उप विकास आयुक्तों / अनुमण्डल पदाधिकारियों को (तीन-तीन प्रतियों में) सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु ।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

------

**[46]**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

विषय :- **बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सरकारी सेवकों की अधिकतम उम्र-सीमा में वृद्धि ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-9809 दिनांक 10-8-90 में बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की अधिकतम उम्र-सीमा 35 वर्ष निर्धारित थी। यह सुविधा उस समय दी गई थी जब अनारक्षित कोटि के अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष, अनु० जाति / अनु० जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए 35 वर्ष तथा सामान्य जाति की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित थी।

अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 1600 दिनांक 4-2-91 में सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गई है।

अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनारक्षित कोटि के पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 42 वर्ष, अनारक्षित कोटि, अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़े वर्ग की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 43 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष निर्धारित की जाय।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,<br>ह०/- हर्ष वर्धन<br>सरकार के संयुक्त सचिव।

**ज्ञाप संख्या-3/एम 1-1021/90 का० 2533** पटना-15, दिनांक 26 फरवरी, 91

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजाबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

ह०/- हर्ष वर्धन<br>सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-1021/90-का०-2533 पटना-15, दिनांक 26 फरवरी, 91

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना /सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

ह०/- हर्ष वर्धन<br>सरकार के संयुक्त सचिव।

------

[ 47 ]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

विषय :- **बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अहर्तांक ( मिनिमम क्वालीफाईंग मार्क्स ) का समान रूप से निर्धारण ।**

बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के अधीन राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा उन प्रयोजनों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाती है । आयोग तथा पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अहर्तांक अलग-अलग निर्धारित था । पर्षद द्वारा अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में सामान्य जाति के लिए 50 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित था, जबकि आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अहर्तांक निर्धारित था । आयोग द्वारा कभी-कभी रिक्तियों की संख्या के आधार पर न्यूनतम अहर्तांक निर्धारित किया जाता था । परिणामस्वरूप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिक्ति के अनुसार अलग-अलग न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया जाता रहा है, जो स्पष्टत: सही प्रक्रिया नहीं थी । न्यूनतम अहर्तांक निर्धारित करने का उद्देश्य यह रहता है कि एक निश्चित योग्यता के नीचे के उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाय । सरकारी कामकाज में दक्षता के स्तर को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि सभी प्रकार के पदों पर नियुक्तियों के लिए आयोग तथा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के न्यूनतम अहर्तांक में समरूपता रखी जाय और व्याप्त असमानता को समाप्त किया जाय ।

अत: राज्य सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 12892, दिनांक 29-10-88 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए समान रूप से न्यूनतम अहर्तांक निम्न रूप से निर्धारित करने का निर्णय लिया :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग | - | $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत |
| (2) पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर -1 | - | 35 प्रतिशत |
| (3) सामान्य कोटि | - | 40 प्रतिशत |

2. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-3 की उप कंडिका-7 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि दिसम्बर, 1986 में अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा ली गयी द्वितीय स्नातक स्तर परीक्षा के बारे में शिथिलता बरतते हुए परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि यानि दिनांक 11-2-88 को कट ऑफ तिथि मानकर उक्त तिथि तक जो रिक्तियाँ हुईं, उनको आधार मानकर उन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाय एवं सभी विभाग

11-2-88 तक जिन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति आवश्यक समझें, उन रिक्तियों की सूचना अवर सेवा चयन पर्षद को भेजें।

उपर्युक्त प्रासंगिक दिनांक 29-10-88 के संकल्प के प्रावधानों के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी। इस मुकदमें सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 8634/88 श्री सीताराम शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित फैसला दिया गया :-

(1) संकल्प संख्या 12892 दिनांक 29-10-88 राज्य सरकार का एक एक्जिक्यूटिव एक्ट है, इसलिए यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है।

(2) दिनांक 29-10-88 के बाद होने वाली रिक्तियाँ इस संकल्प के अनुसार भरी जा सकेंगी। 1986 की परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को भरने की जो व्यवस्था है, इस संकल्प में वह विधिमान्य नहीं है।

(3) राज्य सरकार यह निश्चित करे कि वर्ष 1986 की परीक्षा के लिए न्यूनतम अहर्तांक विभिन्न विषयों में क्या होगा और उसी के आधार पर उम्मीदवारों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करे।

3. कंडिका-1 से विदित होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्व से अलग-अलग कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हतांक अलग-अलग निर्धारित था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय को पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के बारे में राज्य / पर्षद के पक्ष की ओर से अवगत कराया गया प्रतीत नहीं होता है।

4. आयोग / पर्षद द्वारा आयोजित कतिपय परीक्षाओं के आधार पर संकल्प संख्या 12892 दिनांक 29-10-88 में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर नियुक्ति भी हो चुकी होगी। अत: पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 29-10-88 के संकल्प के न्यूनतम अर्हतांक संबंधी प्रावधान को पुन: प्रतिस्थापित (Reiterate) करना उचित होगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने द्वितीय स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हतांक को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सरकार को ही सौंपा है।

5. न्यूनतम अर्हतांक को घटाने से किसी परीक्षा के अभ्यर्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए संकल्प संख्या 12892 दिनांक 29-10-88 में निर्धारित अर्हतांक को फिर से दुहराया जा सकता है। अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि

(क) द्वितीय स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 1986 तथा 29-10-88 के पूर्व ली गयी उन सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें नियुक्तियाँ 29-10-88 तक नहीं हुई थीं, तथा जिनके लिए पूर्व निर्धारित अर्हतांक, संकल्प संख्या 12892 दिनांक 29-10-88 द्वारा निर्धारित अर्हतांक से अधिक थे, के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार से पुन: प्रतिस्थापित (Reiterate) किया जाय :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) सामान्य कोटि | - | 40 प्रतिशत |
| (2) पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर -1 | - | 35 प्रतिशत |
| (3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग | - | $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत |

(ख द्वितीय स्नातक स्तर परीक्षा की रिक्तियों का कट ऑफ डेट 11-2-88 के बजाय दिनांक 31-12-89 किया जाय।

(ग) 1986 वर्ष में आयोजित परीक्षा जिसका परीक्षाफल 11-2-88 को घोषित हुआ से दिनांक 31-12-89 के बाद की रिक्ति को नहीं भरा जाय।

(घ) संकल्प संख्या 12892 दिनांक 29-10-88 को उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित प्रस्ताव के अनुरूप आंशिक रूप से संशोधित समझा जायगा।

6. आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद/ सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-7/च०प० 1-101/88 (खण्ड 2) का०-956 पटना-15, दिनांक 25 जनवरी, 1990

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-7/च०प० 1-101/88 (खण्ड-2)का०-956 पटना-15, दिनांक 25 जनवरी, 1990

प्रतिलिपि :- बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग [सभी शाखा] / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 31-12-89 तक की रिक्तियों की सूचना बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. अध्यक्ष, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना से अनुरोध है कि द्वितीय स्नातक परीक्षा के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक प्राप्त अभ्यार्थियों की सूची शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर ली जाय तथा रिक्तियों की संख्या निर्धारित किये जाने की प्रत्याशा में अविलम्ब तृतीय स्नातक स्तर की परीक्षा की घोषणा कर जून, 1990 की परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की जाय। ऐसा करना उन अभ्यार्थियों के हक में अनिवार्य है, जो द्वितीय स्नातक स्तर की परीक्षा में भाग नहीं ले सकें हों या तृतीय स्नातक स्तर की परीक्षा के आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हों।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव

-----

**[ 48 ]**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**ज्ञाप संख्या-3/सी 1-2030/80 का०-6817** पटना-15, दिनांक 25 मई, 1989
4 ज्येष्ठ, 1911 (श०)

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला दंडाधिकारी।

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।**

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-12754 दिनांक 12-7-77 में सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के किसी एक आश्रित को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। इस परिपत्र की कंडिका-4 में इस सहूलियत का लाभ सरकारी सेवक की मृत्यु के दो वर्षों के अन्दर तक निर्धारित की गई है।

2. बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तथा शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारी समन्वय समिति के द्वारा माँग की गई थी कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की निर्धारित समय सीमा दो वर्ष को बढ़ाकर 5 (पाँच) वर्ष किया जाय। इस संबंध में उक्त समन्वय समिति एवं राज्य सरकार के बीच दिनांक 19-11-88 एवं 20-11-88 को हुए समझौते के कार्यान्वयन के सिलसिले में सरकार ने इसकी सांगोपांग समीक्षा की और महसूस किया कि उक्त परिपत्र की कंडिका-4 को संशोधित करना उचित होगा।

3. इस परिप्रेक्ष्य में उक्त परिपत्र की कंडिका-4 को सरकार द्वारा निम्नरूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

"मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 (पाँच) वर्ष रहेगी और यह समय-सीमा बढ़ाई नहीं जायगी।"

उपर्युक्त निर्णय सभी प्रकार के अनुकम्पा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

अत: इस निर्णय के आलोक में समय सीमा क्षान्त करने का प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय-सीमा किसी भी परिस्थिति में 5 (पाँच) वर्षों से अधिक **नहीं होगी।**

ह०/- एम०एल० मजुमदार
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या-3/सी 1-2030/88 का० 6817 पटना-15, दिनांक 25 मई, 1989
4 ज्येष्ठ, 1911 (श०)

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- एम०एल० मजुमदार
सरकार के सचिव।

------

[ 49 ]

**पत्र संख्या-3/एम 1-1013/89 का० 6336**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एम०एल० मजुमदार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 12 मई, 1989
बैशाख, 1911 (श०)

**विषय :-** **श्रेणी-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु जिला के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के संबंध में ।**

प्रसंग :- मंत्रिमंडल सचिवालय का पत्रांक 21, दिनांक 5-1-1987 एवं पत्रांक 123 दिनांक 15-1-1987 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि प्रासंगिक मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्रों को आंशिक अवक्रमण करते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नियुक्ति हेतु निर्धारित अन्य सभी तुलनात्मक शर्त्त समतुल्य हो तो नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

2. कृपया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसे संसूचित कर दें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम०एल० मजमुदार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-1013/89 का० 6336

पटना-15, दिनांक 12 मई, 1989
बैशाख, 1911 (श०)

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- एम०एल० मजुमदार
सरकार के सचिव

--------

**[ 50 ]**

**बिहार सरकार**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

पटना-15, दिनांक 28 जनवरी, 1989

8 माघ, 1910 (श०)

**विषय :-** **सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाना, राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विहित आयु-सीमा में तीन वर्ष की वृद्धि ।**

बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों के हित में 10 फरवरी, 1982 को निर्गत संकल्प संख्या-2026, दिनांक 23 जुलाई, 1984 को निर्गत संकल्प सं०-8196, दिनांक 2 अप्रील, 1985 को निर्गत संकल्प सं०-4529, दिनांक 21 फरवरी, 1986 को निर्गत संकल्प सं०-2155, 6 फरवरी, 1987 को निर्गत संकल्प सं०-800 एवं 2 नवम्बर, 1987 को निर्गत संकल्प सं०-11574 द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई थी । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की रखी गई थी । साथ ही जिन पदों पर नियुक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं की जाती है, वैसे पदों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा जो 27 वर्ष से कम की थी, में 3 वर्षों की वृद्धि की गई थी । उसी अनुपात में अनुसूचित जाति / अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गई थी । आयु सीमा में छूट की उपर्युक्त सुविधा 31 दिसम्बर, 1988 तक ही उपलब्ध कराई गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि उसे आगे के वर्षों में प्रभावी किए जाने के संबंध में पुन: ससमय विचार कर निर्णय लिया जायगा ।

2- तदनुसार विषय की पुन: समीक्षा की गई और पाया गया कि जिन कारणों के फलस्वरूप पूर्व में सरकारी सेवओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था वे सभी अभी भी विद्यमान हैं । अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कंडिका-1 में वर्णित संकल्प में आयु सीमा के संबंध में जो सुविधाएं दी गई है, उन्हें 31 दिसम्बर, 1989 तक प्रभावी रखी जाय । 31-12-89 के बाद की अवधि के लिए विषय की पुन: समीक्षा के उपरान्त इस पर विचार कर निर्णय लिया जायगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ अध्यक्ष, अवर सेवा चयन पर्षद, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एम०एल० मजुमदार

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/आर 1-308/83 का०-1265 पटना, दिनांक 28 जनवरी, 1989

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित । अनुरोध है कि इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/- निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या 1265 पटना 15, दिनांक 28 जनवरी, 1989

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए अग्रसारित ।

ह०/- निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के संयुक्त सचिव ।

-------

**[ 51 ]**

**सं० 7/ख०प० 1-101/88-का०-12892**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

**संकल्प**

29 अक्टूबर 1988

विषय :- **बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक ( मिनिमम क्वालिफाईंग मार्क्स ) का समान रूप से निर्धारण ।**

विदित है कि बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर-सेवा चयन पर्षद द्वारा समय-समय परा राज्य सरकार के अधीन राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा उन प्रयोजनों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाती है । आयोग तथा पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हतांक अलग-अलग निर्धारित है । पर्षद द्वारा अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में सामान्य जाति के लिए 50 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित है जबकि आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित है । आयोग द्वारा कभी-कभी रिक्तियों की संख्या के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया जाना है । परिणामस्वरूप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिक्ति के अनुसार अलग-अलग न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया जाता है जो स्पष्टत: सही प्रक्रिया नहीं है । न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित करने का उद्देश्य यह रहता है कि एक निश्चित योग्यता के नीचे के उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाय । सरकारी काम-काज में दक्षता के स्तर को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के पदों पर नियुक्तियों के लिए आयोग तथा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के न्यूनतम अर्हतांक में समरूपता रखी जाय और व्याप्त असमानता को समाप्त किया जाय ।

2. अत: राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए समान रूप से न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | अनुसूचित जाति / जन-जाति एवं महिला वर्ग | - | $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत |
| (2) | पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1 | - | 35 प्रतिशत |
| (3) | सामान्य कोटि | - | 40 प्रतिशत |

3. उसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन / संचालन के संबंध में निम्नांकित निर्णय भी लिए गये हैं :-

(1) बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सरकारी विभाग / कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक यानि 31 मार्च तक होनेवाली रिक्तियों की सूचना आयोग / पर्षद को निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अवश्य संसूचित कर देंगे । इस तारीख के बाद भेजी गयी रिक्तियों की सूचना आयोग / पर्षद द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

(2) प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन संबंधी विज्ञापन में आयोग / पर्षद की रिक्तियों की निश्चित संख्या अर्थात् 31 मार्च तक होने वाली रिक्तियों की सूचना 30 जून तक आयोग / पर्षद कार्यालय में प्राप्त हुई है, का उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

(3) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में सफल उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया जायेगा। अर्थात् आयोग / पर्षद अधिक-से-अधिक उतने ही नामों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु करेगा जितने पदों की रिक्तियाँ दिखाते हुए उनके द्वारा चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया था, भले ही न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों से अधिक हो।

(4) यदि निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम हो तो उतने ही संख्या में सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी।

(5) सफल उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों द्वारा सेवा में योगदान नहीं करने की स्थिति में विभाग / कार्यालय द्वारा इस संबंध में सूचना देने तथा अनुरोध करने पर अतिरिक्त उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग / पर्षद न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त शेष उम्मीदवारों में से योग्यता क्रम से करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार का अनुरोध संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्दर किया गया हो।

(6) चूँकि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में विगत वित्तीय वर्ष के अन्त तक हुई रिक्तियों की सूचना आयोग/ पर्षद कार्यालय को भेजने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और इस बीच प्रतियोगिता परीक्षायें आयोजित की गई हैं या की जानी हैं, इसलिए सरकारी विभाग / कार्यालयों की रिक्तियों की सूचना आयोग / पर्षद में भेजने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी, 1989 निर्धारित कर दी गयी है। यह व्यवस्था सिर्फ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बची हुई अवधि में ली जानेवाली परीक्षाओं के बारे में लागू होगी।

(7) दिसम्बर, 1986 में अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा की गयी द्वितीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में शिथिलता बरतते हुए परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि यानि 11 फरवरी, 1988 को कट ऑफ तिथि मानकर उस तिथि तक जो रिक्तियाँ थीं, उनको ही आधार मानकर उन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी। सभी विभाग / कार्यालय 11 फरवरी, 1988 तक जिन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति आवश्यक समझे, उतनी ही रिक्तियों की सूचना अवर सेवा चयन पर्षद को 31 जनवरी, 1989 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। 31 जनवरी, 1989 के बाद दी गयी रिक्तियों की सूचना पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

4. विभिन्न विभागों / कार्यालयों में बनायी गयी अथवा लागू भर्त्ती संबंधी नियमावली में इस संकल्प के परिप्रेक्ष्य में जहाँ कहीं भी विसंगति हो, उसे संकल्प के अनुसार विभागों / कार्यालयों द्वारा संशोधित कर लिया जायेगा।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद / सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों/ प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,<br>
ह०/- अस्पष्ट<br>
सरकार के उप-सचिव।

------

[ 52 ]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

पटना-15, दिनांक 2री नवम्बर, 1987

**विषय :- सीमित राजपत्रित कनीय अभियंता के पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए प्रक्रिया का निर्धारण ।**

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4493 दिनांक 14-3-77 में कनीय अभियंता (वेतनमान 785-1210/- रु०) के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी नियमन यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव अथवा विभागीय मुख्य अभियंता नियुक्ति पदाधिकारी की हैसियत से कनीय अभियंता की नियुक्ति करेंगे । इसी संकल्प से कनीय अभियंता को उल्लेखित शर्तों सहित सीमित उद्देश्यों से राजपत्रित भी घोषित किया गया है । दूसरी ओर, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-3-301/79-23 प्र०मु० दिनांक 20-4-1981 से यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के सचिवालय विभागों / विभागाध्यक्षों तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले सभी प्रावैधिक एवं गैर प्रावैधिक तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से ही की जाय । कनीय अभियंता का पद तृतीय श्रेणी में एक प्रावैधिक पद है और तदनुसार इस संकल्प के अधीन कनीय अभियंता के पदों पर सीधी भर्त्ती से नियुक्तियाँ अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से होनी चाहिए । इस प्रकार उपर्युक्त दोनों संकल्पों में कनीय अभियंता के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति की प्राविधित प्रक्रिया परस्पर-विरोधी हैं, जिसके चलते भ्रमजनक स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं ।

2. उक्त दोनों संकल्पों में उल्लेखित विरोधी प्रावधानों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है । सरकार ने यह लक्ष्य किया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत प्रथम संकल्प के अधीन जहाँ पथ निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु क्रमश: वर्ष 1984 तथा वर्ष 1985 में बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचनाएँ भेजी गयीं, वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु अपनी अधियाचनाएँ वर्ष 1986 में सीधे अवर सेवा चयन पर्षद को भेजी गई है । इस प्रकार कनीय अभियंताओं की सीधी नियुक्तियाँ उक्त दो संकल्पों के अधीन दो भिन्न-भिन्न स्रोतों से अनुशंसा माँग कर की जा रही है । सरकार का स्पष्ट मंतव्य है कि सभी कार्य विभागों में कनीय अभियंता के पद पर सीधी नियुक्तियाँ एक ही स्रोत से की जाय ।

सरकार का कनीय अभियंता सेवा संघ की इस माँग की ओर भी ध्यान आकृष्ट हुआ है कि कनीय अभियंता के पदों पर सीधी नियुक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाय ।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर भली-भाँति विचारोपरान्त कनीय अभियंता के पदों पर सीधी भर्त्ती से होने वाले नियुक्तियों की प्रक्रिया को सरकार ने निम्नवत् निर्धारित किया है और तदनुसार लोक निर्माण विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत उपर्युक्त संकल्पों को संशोधित माना जाय ।

(क) भविष्य में सभी कार्य विभागों में कनीय अभियंता के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति केवल लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर संबंधित विभागाध्यक्ष (नियुक्ति पदाधिकारी) द्वारा की जायगी ।

(ख) ऊर्जा विभाग में कनीय अभीयंता को छोड़कर, अन्य सभी कार्य विभागों, यथा- पथ निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता के पदों पर उपर्युक्त के अनुसार सीधी भर्त्ती से नियुक्ति निमित्त सिंचाई विभाग नोडल विभाग होगा जो उक्त विभागों से रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर बिहार लोक सेवा आयोग को समेकित अधियाचना भेजेगा तथा तत्संबंधी सभी कार्यों का समन्वय करेगा।

(ग) ऊर्जा विभाग में कनीय अभियंता के पद पर सीधी भर्त्ती के द्वारा नियुक्ति हेतु ऊर्जा विभाग अपनी अधियाचना सीधे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। कारण यह है कि कनीय विद्युत अभियंता की कार्य-प्रकृति अन्य कार्य विभागों के कनीय अभियंता की कार्य-प्रकृति से भिन्न है।

(घ) इस संकल्प के निर्गत होने के पूर्व तक कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु जिन विभागों द्वारा अपनी अधियाचनाएँ सीधे बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद को भेजी गयी हैं, उन पर अवर सेवा चयन पर्षद की अनुशंसा प्राप्त कर ही नियुक्तियाँ की जायेंगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- आर० श्रीनिवासन
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-5029/86-का०-11585 पटना 15, दिनांक 2 नवम्बर, 1987

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित। 2. अनुरोध है कि इस संकल्प की एक हजार मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/- जे०पी० शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-5029/86-का०-11585 पटना-15, दिनांक 2 नवम्बर, 1987

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- जे०पी० शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव।

--- ---

**[ 53 ]**

**पत्र संख्या-3/सी 1-309/87-का० 9818**

**बिहार सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

प्रेषक,

श्री जे०पी० शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 17वीं सितम्बर, 1987

**विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया—विभागीय समितियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सदस्यों का मनोनयन।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या-11946 दिनांक 30 नवम्बर, 1984 की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत परिपत्र संख्या-300 दिनांक 5-1-85 की सूची द्वारा सभी विभागों में गठित अनुकम्पा समिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अन्य विभागों के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को सदस्य मनोनीत किया गया था ।

2. अब विभागों की संख्या 32 से बढ़कर 41 हो गयी है । अत: कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-3/आर 1-307/84 का० 300 दिनांक 5-1-85 के साथ संलग्न सूची को विलोपित करते हुए इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से विभागों में गठित अनुकम्पा समितियों के लिये कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों का मनोनयन संलग्न सूची की कंडिका-3 के अनुसार किया जाता है ।

3. सभी विभागों से अनुरोध है कि विभागीय अनुकम्पा समितियों की बैठक की सूचना यथासमय संलग्न सूची की कंडिका-3 में अंकित संबंधित पदाधिकारियों को ससमय भेज दी जाय ताकि वे कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में समिति की बैठकों में भाग ले सकें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- जे०पी० शर्मा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

------

## विभागीय अनुकम्पा समिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत सदस्यों की सूची ।

| क्र०सं० | विभाग का नाम | कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग | वित्त विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 2. | गृह विभाग | |
| 3. | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | |
| 4. | राजभाषा विभाग | |
| 5. | संसदीय कार्य विभाग | कार्मिक विभागीय के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 6. | वित्त विभाग | |
| 7. | योजना एवं विकास विभाग | |
| 8. | ग्रामीण विकास विभाग | |
| 9. | नगर विकास विभाग | |
| 10. | कल्याण विभाग | ग्रामीण विकास विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 11. | स्वास्थ्य विभाग | |
| 12. | शिक्षा विभाग | |
| 13. | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | |
| 14. | औद्योगिक विकास विभाग | स्वास्थ्य विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 15. | ईख विभाग | |
| 16. | खान एवं भूतत्व विभाग | |
| 17. | वन एवं पर्यावरण विभाग | |
| 18. | कृषि विभाग | शिक्षा विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 19. | सहकारिता विभाग | |
| 20. | पशु एवं मत्स्य पालन विभाग | |
| 21. | ऊर्जा विभाग | |
| 22. | लघु सिंचाई विभाग | औद्योगिक विकास विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 23. | सिंचाई विभाग | |
| 24. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | |
| 25. | पथ निर्माण विभाग | |
| 26. | परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग | सिंचाई विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 27. | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग | |
| 28. | पर्यटन विभाग | |
| 29. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | |

| क्र०सं० | विभाग का नाम | कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य |
|---|---|---|
| 30. | उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | |
| 31. | साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग | राजस्व विभाग के वरीयतम |
| 32. | श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 33. | खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग | |
| 34. | विधि विभाग | |
| 35. | भवन निर्माण एवं आवास विभाग | खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के |
| 36. | युवा कार्यक्रम, खेल एवं संस्कृति विभाग | वरीयतम अपर सचिव/संयुक्त सचिव । |
| 37. | चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | |
| 38. | जलस्रोत एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग | |
| 39. | परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग | कल्याण विभाग के वरीयतम |
| 40. | 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग | अपर सचिव / संयुक्त सचिव । |
| 41. | लघु उद्योग विभाग | |

ह०/- जे०पी० शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

-------

**[ 54 ]**

**पत्र संख्या-3/एल 2-201/87-का०-9178**

**बिहार सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

प्रेषक,

श्री एन०के० अग्रवाल,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग /
सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 31वीं अगस्त, 1987

**विषय :-** **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।**

महोदय,

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77, 11478 दिनांक 5-7-79, 6694 दिनांक 17-5-80, 814 दिनांक 22-1-81 तथा 4211 दिनांक 12-4-84 द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किए गए हैं ।

2. परिपत्र संख्या-11946 दिनांक 30-11-84 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाओं को और सरल और प्रभावकारी बनाया गया है ।

3. सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि गठित अनुकम्पा समिति की बैठक समय पर नहीं बुलाने के कारण मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में काफी विलम्ब हो जाता है ।

4. अत: अनुरोध है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में विलम्ब न हो इस हेतु अनुकम्पा समिति की ससमय बैठक बुलाकर, अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाय एवं नियुक्ति हेतु शीघ्र निर्णय लेने की कृपा की जाय ।

5. कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एन० के० अग्रवाल
सरकार के सचिव ।

------

[55]
बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1908 (श०)
(सं० पटना-47) पटना, वृहस्पतिवार, 12 फरवरी 1987

सं० 3/आर 1-308/83-का०-800

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

6 फरवरी 1987

**विषय :-** **सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु-सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाना, राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्त्ती के द्वारा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विहित आयु-सीमा में तीन वर्षों की वृद्धि ।**

बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों के हित में 10 फरवरी, 1982 को निर्गत संकल्प संख्या 2026, दिनांक 23 जुलाई, 1984 को निर्गत संकल्प संख्या 8196, दिनांक 2 अप्रील, 1985 को निर्गत संकल्प संख्या 4529 एवं 21 फरवरी, 1986 को निर्गत संकल्प संख्या 2155 द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा 30 वर्षों की रखी गयी थी । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्षों की रखी गई थी । साथ ही, जिन पदों पर नियुक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं की जाती है वैसे पदों के लिये भी अधिकतम आयु-सीमा में जो 27 वर्षों से कम की थी, 3 वर्षों की वृद्धि की गई थी । उसी अनुपात में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गई थी । आयु-सीमा में छूट की उपर्युक्त सुविधा 31 दिसम्बर, 1986 तक ही उपलब्ध कराई गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि उसे आगे के वर्षों में प्रभावी किये जाने के संबंध में पुन: ससमय विचार कर निर्णय लिया जायगा ।

2. तद्नुसार विषय की पुन: समीक्षा की गई और पाया गया कि जिन कारणों के फलस्वरूप पूर्व में सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था वे सभी अभी भी विद्यमान हैं । अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कंडिका-1 में वर्णित संकल्पों में आयु-सीमा के संबंध में जो सुविधाएँ दी गई थीं उन्हें 31 दिसम्बर 1957 तक प्रभावी रखा जाय । 31 दिसम्बर, 1987 के बाद की अवधि के लिये विषय की पुन: समीक्षा के उपरान्त ससमय विचार कर निर्णय लिया जायगा ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ अध्यक्ष, अवर सेवा चयन पर्षद, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

[ 56 ]

**पत्र संख्या-3/एल 3-102/85 का० 7639**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के०के० श्रीवास्तव,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 11 जून, 1986

**विषय :- सरकारी कार्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-7260 दिनांक 27-4-79 में इस बात पर बल दिया गया था कि तदर्थ नियुक्तियाँ नहीं की जाय । कार्मिक विभाग के ही परिपत्र सं०-3001 दिनांक 16-3-82 में इस बात को पुन: दुहराया गया कि दैनिक भत्ते पर रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ नहीं की जाय, नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरश: पालन किया जाय । मंत्रिमण्डल सचिवालय से निर्गत निर्देश सं०-484 दिनांक 18-3-85 में कहा गया था कि विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने एवं तदर्थ नियुक्तियों के आँकड़े संकलित कर उन्हें शीघ्र समाप्त करने की अपेक्षित कार्रवाई की जाय । किन्तु सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कुछ सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति संबंधी नियमों की अवहेलना कर तदर्थ रूप में नियुक्तियाँ की जा रही हैं, दैनिक भत्ते पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं । इस व्यवस्था को सरकार एक गंभीर स्थिति मानती है ।

2. बिहार विधान सभा में हुए वाद-विवाद के दौरान तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में पुन: इस निर्णय को संसूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया और सिद्धान्त के विरुद्ध की गई तदर्थ नियुक्ति को बनाए रखने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति पदाधिकारियों पर होगा । उनका यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने विभाग के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्रों का, जिनमें नियुक्ति के सिद्धान्त एवं प्रक्रिया का निरूपण किया गया है, कड़ाई से पालन हो । विभिन्न जिलों के लिए जो आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है उसका भी अनुपालन हो और दिनांक 1-8-85 के बाद की गई अनियमित नियुक्तियों को रद्द किया जाय । साथ ही, जो पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय ।

3. भविष्य में सरकार इन नियमों के अनुपालन के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरायेगी। कृपया इन नियमों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अविलम्ब अवगत करा दें ।

4. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- के०के० श्रीवास्तव
सरकार के मुख्य सचिव ।

------

[ 57 ]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

पटना-15, दिनांक 9 वीं अप्रील, 1986

विषय :- **बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभिन्न राज्य सेवाओं में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण ।**

बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि विभिन्न सेवाओं के लिये आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये न्यूनतम आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित है । कुछ सेवाओं के लिये न्यूनतम आयु 20, कुछ की 21, कुछ की 22 और कुछ की 23 वर्ष है । इससे पदों को विज्ञापित करने, आवेदन पत्रों की जाँच करने एवं विभिन्न पदों के लिये उम्मीदवारों का आबंटन करने में काफी कठिनाई होती है । इस पर आयोग ने सुझाव दिया कि जिस तरह राज्य सेवाओं में एक समान अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित है (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिये 5 वर्ष की छूट सहित), उसी तरह न्यूनतम आयु-सीमा में भी यथासंभव एकरूपता लाई जाय ।

2. विषय की भलीभाँति समीक्षोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार पुलिस सेवा की तरह बटालियन कमांडर, गृह रक्षा वाहिनी एवं उत्पाद निरीक्षक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष रखी जाय एवं गैर पुलिस सेवाओं यथा (1) बिहार वित्त सेवा (2) बिहार शिक्षा सेवा (3) बिहार श्रम सेवा (4) बिहार कारा सेवा (5) सहायक नियोजन पदाधिकारी (6) सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं (7) अवर निबंधक में न्यूनतम आयु सीमा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदृश 22 वर्ष रखी जाय ।

3. यह निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / सभी प्रमण्डलायुक्तों / सभी जिलाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- सरयू प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/आर 1-301/86-का० 4205

पटना-15, दिनांक 9वीं अप्रील, 1986

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिये अग्रसारित । अनुरोध है कि इसकी दो हजार अतिरिक्त प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें ।

ह०/- सरयू प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/आर 1-103/86-का० 4205 पटना-15, दिनांक 9वीं अप्रील, 1986

**प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / राँची / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,** पटना / सरकार **के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित । 2. संबंधित विभागों से अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार संगत भर्त्ती नियमावलियों में उपर्युक्तानुसार संशोधन कर लें ।**

ह०/- सरयू प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

------

**[ 58 ]**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

**ज्ञाप संख्या-3/एम1-5020/85-का० 6405** पटना-15, दिनांक 21वीं मई, 85

सेवा में

सरकार के सभी विभाग /

सभी विभागाध्यक्ष ।

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली समिति के सदस्यों के संबंध में ।**

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक विभागों में जो समिति गठित होनी है उसके संबंध में कतिपय विभागों से निम्न प्रकार जिज्ञासा की गई है :-

1 - कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य पूर्व में गठित तीन सदस्यों के अतिरिक्त चौथे सदस्य होंगे अथवा उनको लेकर कुल तीन ही सदस्य होंगे ?

2 - समिति में जो विभागीय पदाधिकारी रहेंगे क्या वे सभी संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे ?

उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट करना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य चौथे सदस्य के रूप में होंगे अर्थात् अध्यक्ष को लेकर सदस्यों की संख्या 4 होगी । समिति में जो विभागीय पदाधिकारी रहेंगे उनके लिये यह निर्धारित नहीं है कि वे सभी संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के ही होंगे, परन्तु संयुक्त सचिव स्तर तक के विभागीय पदाधिकारी ही सदस्य के रूप में रखे जा सकते हैं । समिति का गठन उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आलोक में कृपया की जाय ।

ह०/- एस० जलजा

सरकार के विशेष सचिव ।

------

[59]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

संकल्प

**विषय :- सचिवालय सहायक के पद पर भर्त्ती की विहित योग्यता में वृद्धि करने एवं कार्यभार के वर्त्तमान मापदण्ड को बढ़ाने के सम्बन्ध में ।**

सचिवालय अनुदेश के नियम 2.4 (vii) के अनुबन्ध (अध्याय-2) की कंडिका (1) में यह प्रावधान है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार कम-से-कम राज्यपाल द्वारा अभिज्ञात किसी विश्वविद्यालय की इन्टरमीडियट परीक्षा या सीनियर कैम्ब्रिज लोक एक्जामिनेशन या कैम्ब्रिज सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन या प्राक विश्वविद्यालय परीक्षा (प्री-यूनिवर्सिटी एक्जामिनेशन) या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेशन) में अवश्य उत्तीर्ण हो । परन्तु, सचिवालय में कार्यरत सहायकों की ओर से एक लम्बे अरसे से माँग होती रही है कि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हता इन्टरमीडियट के बदले स्नातक रखी जाय । सरकार ने, अन्य माँगों के अतिरिक्त, उक्त माँग पर विचार करने तथा अनुशंसा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति, जिसके सदस्य अपर मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त, शिक्षा आयुक्त तथा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें मनोनीत किये गये थे, गठित की थी ।

2- उच्च-स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर, भलीभाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम सरकार द्वारा अभिज्ञात किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसे सरकार उसके समकक्ष घोषित करे, में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । किन्तु, सचिवालय सहायकों की योग्यता स्नातक स्तर की करने से स्वतः उन्हें तकनीकी स्नातक (जो वर्ग 2 के नहीं है) या प्रशिक्षित स्नातक को दिया गया वेतनमान (जो सम्प्रति 850-1360/- है) देय नहीं होगा ।

3- साथ ही राज्य सरकार ने इस क्रम में यह भी निर्णय लिया है कि सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में सहायकों के पदों की अनुमान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी जाय और इस प्रकार की गयी बढ़ोत्तरी की गणना में इस बात पर ध्यान रखा जाय कि आँकड़े राउन्ड औफ करके निकटतम 50 पर रहे ।

4- सचिवालय अनुदेश के सुसंगत नियम में एतद् संशोधन कर दिया जाय ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय । 2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों / सभी जिला पदाधिकारियों/ सरकारी निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- सुरेन्द्र प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या-ओएम/आर 3-01/84-01/ओएम, पटना-15, दिनांक 3 जनवरी, 85

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 1000 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) को उपलब्ध कराई जाय ।

ह०/- सुरेन्द्र प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या-ओएम/आर 3-01/84-01/ओएम पटना-15, दिनांक 3 जनवरी, 85

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग को उनके पत्रांक 3711 दिनांक 21-5-84 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्ञाप संख्या-ओएम/आर-3-01/84-01/ओएम पटना-15, दिनांक 2 जनवरी, 85

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों / सभी जिला पदाधिकारियों / सरकारी निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- सुरेन्द्र प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

------

**[60]**

**संख्या-11946** दिनांक : 30-11-84

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**विषय :- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।**

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77 द्वारा निर्गत किया गया है । तदुपरान्त सरकार ने निर्गत आदेशों को समय-समय पर स्पष्ट किया है एवं अनुवर्त्ती अनुदेश भी निर्गत किया है जिसके सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-11478 दिनांक 5-7-79, 6694 दिनांक 17-5-80, 814 दिनांक 22-1-81 तथा 4211 दिनांक 12-4-84 प्रासंगिक हैं।

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाओं को और सरल एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुन: निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति वैसे पदों पर की जाय जिन पर नियुक्ति अवर सेवा चयन पर्षद के गठन के पूर्व विभाग / संलग्न कार्यालयों के विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती थी । केवल वैसे पद ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के दायरे से बाहर रहेंगे जिन पर अवर सेवा चयन पर्षद के गठन के पूर्व भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी । ऐसे पदों की एक सूची संकलित कर अलग से भेजी जायेगी ।

2. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में पत्नी, पुत्र तथा अविवाहित पुत्री के अतिरिक्त विधवा पतोहू भी सम्मिलित रहेगी, किन्तु विधवा पतोहू की नियुक्ति पर तभी विचार किया जायेगा जब कोई अर्हता प्राप्त पुत्र उपलब्ध नहीं रहेगा ।

3. जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जायेगी उनके नियुक्ति पत्र में यह शर्त्त शामिल रहेगी कि मृत सरकारी सेवक के परिवार के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व उन पर होगा और इस उत्तरदायित्व की अवहेलना को गंभीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी । नियुक्ति की यह भी शर्त्त रहेगी कि यदि यह पाया जाय कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवक अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करता है तो उनके परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है ।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-4211 दिनांक 12-4-84 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति की व्यवस्था को समाप्त कर हर विभाग में विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति के गठन करने का जो अनुदेश है उसके अनुसार प्रत्येक विभागीय समिति में अभी सभी सदस्य सम्बन्धित विभाग के ही होते हैं । इस सम्बन्ध में सोच विचार कर अब निर्णय लिया गया है कि उक्त समिति में कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत किसी अन्य विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को भी सदस्य के रूप में रखा जाय ताकि समिति के निर्णयों की तटस्थता सुस्पष्ट रहे ।

5. यह समिति वैसे पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगी जिन पर नियुक्ति राज्य स्तर पर होती है । जिन पदों पर जिला स्तर पर नियुक्ति होती है वैसे पदों पर जिला स्तर पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति के लिए जिला पदाधिकारी एवं जिन पदों पर प्रमण्डल स्तर पर नियुक्ति होती है वैसे पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है । जिला स्तर पर यह स्वीकृति समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर दी जायगी । जिला स्तर पर गठित समिति के अन्य सदस्यों में जिला विकास पदाधिकारी तथा (1) कार्य विभाग समूह (2) समाजसेवा समूह (3) आर्थिक सेवा समूह के विभागों के जिला स्तर के पदाधिकारियों में से एक-एक रहेंगे जिनका नामांकन (मनोनयन) प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमति से जिला पदाधिकारी करेंगे । इसी प्रकार प्रमण्डलीय आयुक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी तथा (1) कार्य विभाग समूह (2) समाज सेवा समूह (3) आर्थिक सेवा समूह के विभागों के प्रमण्डलीय स्तर के एक-एक पदाधिकारी रहेंगे जिनका चयन प्रमण्डलीय आयुक्त करेंगे ।

जिला स्तर पर समिति के सचिव जिला विकास पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय स्तर की समिति के सचिव क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी रहेंगे ।

6. वैसे मामलों में जिसमें किसी महिला की किसी चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव हो, नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति की शर्त्तों को शिथिल करने के लिए सक्षम होंगे पर यह शिथिलीकरण समिति की अनुशंसा पर की जायगी । महिला उम्मीदवार के लिए साइकिल चलाने की योग्यता की शर्त्त क्षान्त कर दी जायगी तथा शैक्षणिक योग्यता की शर्त्त भी इस शर्त्त पर शिथिल की जा सकेगी कि लिखने-पढ़ने के जैसे सामान्य ज्ञान की आवश्यकता सम्बन्धित महिला उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति के दो वर्ष के अन्दर हासिल कर लिया जायेगा ।

7. उम्र की क्षान्ति समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी ।

8. मृत सरकारी सेवक के किसी आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी संतुष्ट हो लेंगे कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बिना अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उनका भरण-पोषण संभव हो । इसके लिए मृत सरकारी सेवक के दो उत्तरदायी सहकर्मियों का प्रतिवेदन आय के बारे में तथा मृत सरकारी सेवक के आश्रित जिन्हें सेवा दी जा रही हो को शपथ पत्र जिसमें खेती एवं अन्य क्षेत्रों से आमदनी का ब्योरा हो, पर्याप्त होगा ।

9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए परिपत्रों में जो उपबंध है उनमें किसी प्रकार की शिथिलीकरण का जब प्रश्न उठेगा तब वैसे मामलों में प्रशासी विभाग के लिए यह आवश्यक होगा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर लें ।

10. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आरक्षण के रोस्टर पर ध्यान दिया जायगा । सम्बन्धित रिक्ति यदि आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर होगी तो अन्य कोटि के उम्मीदवार की नियुक्ति तो की जा सकेगी किन्तु सम्बन्धित रिक्ति को अग्रणीत कर देना आवश्यक होगा । [संकल्प संख्या 11946 दिनांक 30.11.1984]

------

[61]

**संख्या 3/आर 1-3039/82 का०-4211** दिनांक 12-4-1984

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।**

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्य के चलते उनके परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 12754 दिनांक 12-7-1977 द्वारा निर्गत किया है । तदुपरान्त सरकार ने समय-समय पर आवश्यक स्पष्टीकरण एवं अनुवर्त्ती अनुदेश भी निर्गत किया है जिसके सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-11478 दिनांक 5-7-79, 6694 दिनांक 17-5-1980 एवं 814 दिनांक 22-1-1981 प्रासंगिक है ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-1977 में यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी सेवकों जिनकी असामयिक मृत्यु सरकारी सेवाकाल में हो जाती है, उनके परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर, जहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय । इस परिपत्र के निर्गत होने के बाद बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ग-3 में नियुक्ति के वैसे मामले जो पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त अनुशंसित किये जाते थे, अब बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद को यह कार्य सुपुर्द कर दिया है । परिणामस्वरूप अनुकम्पा के आधार पर वैसे ही वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिनपर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से नहीं होती हो ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77 की कंडिका-2 में प्रावधान है कि नियुक्ति के पूर्व हर मामले में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श लेना आवश्यक होगा । इस प्रावधान के आलोक में सभी विभागों को ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति हेतु संचिका भेजनी पड़ती है, जिसमें अनावश्यक विलम्ब होता है । मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को यह देय सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में यह आवश्यक जान पड़ता है कि इस शर्त्त को हटा लिया जाय ताकि सभी प्रशासी विभाग अपने नियंत्रणाधीन ऐसे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक सदस्य को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अधीन विहित शर्त्तों के आलोक में नियुक्ति करें ।

4. इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि :-

(1) अनुकम्पा के आधार पर सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति, नियुक्ति के पूर्व में लेने की शर्त्त को समाप्त कर दिया जाए ।

(2) प्रत्येक विभाग के आयुक्त एवं सचिव को प्राधिकृत किया जाए कि वे अपने नियंत्रणाधीन सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों में निहित शर्त्तों के अधीन नियुक्ति करने हेतु एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करें जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित विभाग के कम-से-कम अपर सचिव की कोटि के पदाधिकारी हों।

(3) समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्बन्धित विभाग के आयुक्त एवं सचिव आवश्यक आदेश पारित करेंगे और वह आदेश उन्हीं के हस्ताक्षर पर निर्गत होगा। किसी परिस्थिति में यह अधिकार उनके द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। [संख्या 3/आर 1-3039/82 का० 4211 दिनांक 12.4.1984]

------

**[ 62 ]**

**पत्र सं०-10/परी०-1904/83 का० 789**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बेक जुलियस, सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / मुख्य वन संरक्षक, राँची ।

पटना-15, दिनांक 11 अगस्त, 1983

**विषय :- सचिवालय विभागों / विभागाध्यक्षों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा सीधे टंकक के रिक्त पदों पर किए गये आवंटन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के अराजपत्रित पदों, जैसे- सहायक, निजी सहायक, टंकक, दिनयर्चा लिपिक एवं अभिलेखवाह के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के केन्द्रीकृत रूप से आयोजित करने का कार्य जो पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा था उसी कार्य को बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद को सौंपा गया है ।

2. बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद को उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मात्र प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना एवं सफल उम्मीदवारों का चयन कर उनकी अनुशंसा करना मात्र है । अनुशंसा सूची चयन पर्षद को सीधे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराया जाना है ताकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त रिक्ति के आलोक में, आरक्षित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उन रिक्तियों के विरुद्ध सफल उम्मीदवारों का आबंटन किया जा सके ।

3. सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद ने 1982 के माह अप्रील-अगस्त में टंकक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर विभागों से भेजे गए रिक्त टंकक के पदों पर अनियमित रूप से आबंटन कर दिया है । अतएव अनुरोध है कि अवर सेवा चयन पर्षद के पत्रांक 767 दिनांक 30-6-1983 द्वारा टंकक के पदों पर नियुक्ति हेतु जिन उम्मीदवारों का आवंटन किया गया है उनकी नियुक्ति आदेश तत्काल स्थगित रखा जाय । यदि किसी विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिया गया हो तो उसे स्थगित समझा जाय जबतक कि इस बिन्दु पर सरकार का अन्तिम निर्णय संसूचित नहीं कर दिया जाता है ।

विश्वासभाजन,

ह०- बेक जुलियस

सरकार के विशेष सचिव ।

GOVERNMENT OF BIHAR
FINANCE DEPARTMENT

Memo No. F-IIIE2 / 55-9222F. Patna, The 9th Sept., 1955

To :

All Departments of Government /
All Heads of Departments.

Sub :- Increment to typists who pass the Typists examination conducted by the Finance Department Six monthly.

Ref :- Finance Department Memo No. 6170 F dated the 7th April, 1950.

The undersigned is directed to invite a reference to paragraph 2 of the note below sub-paragraph (v) of paragraph (iv) of the Finance Department's (memo no. 6170 F dated the 7th April, 1950 in which the Departments / office were informed that temporary typists who do not pass the typists examination not be allowed to earn increments till they have passed the examination. A question has been raised as to whether the typist who passes the examination should be deemed to have passed the same on the date following the date of examination or the date of the publication of the result. It has now been decided that the date following the date of the examination should be regarded as the date on which the typists may be deemed to have passed the examination and the typists whose increments may have been stopped should be allowed to draw the same from this date.

Sd/- M. Alam,
Addl. Under Secretary to Government.

---------

[ 63 ]
बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन, 1903 (श०)
(सं० पटना-221) पटना, शुक्रवार, 26 फरवरी 1982

## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

------

**संकल्प**

17 फरवरी 1982

विषय :- **सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाना तथा अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विहित आयु-सीमा में तीन वर्षों की वृद्धि ।**

**सं० 3/आर-1-302/80-का०—2026** —बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों के हित में तिथि 15 मई, 1980 को निर्गत संकल्प संख्या 6586 के द्वारा सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया था और इसी अनुपात में अनुसूचित-जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से 35 वर्ष कर दी गई थी। साथ ही वैसे राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों जिन पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से कम है अथवा जिन पदों पर नियुक्ति संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होती है, उसमें भी तीन वर्षों की वृद्धि की गई थी तथा इसी अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की आयु सीमा में वृद्धि की गयी थी । यह सुविधा वर्ष 1981 के अन्त तक ही उपलब्ध की गई थी । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि 1981 के अन्त में इस विषय की पुन: समीक्षा की जायगी।

2. तदनुसार इस विषय की समीक्षा की गई और पाया गया कि जिन कारणों के चलते पूर्व में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था वे सभी विद्यमान हैं । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त संकल्प में जो सुविधायें दी गई थीं उसे पुन: अगले दो वर्षों के लिये (यानि 1983 के अन्त तक) प्रभावी की जाय और 1983 के अन्त में विषय की पुन: समीक्षा की जाय ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ अध्यक्ष, अवर सेवा चयन पर्षद, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुषमा सिंह
सरकार के अपर सचिव ।

------

**[ 64 ]**

**संख्या का०प्र०सु० 3-301/79-23 प्र०सु०**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार)

**संकल्प**

20 अप्रील, 1981

सम्प्रति तृतीय श्रेणी के ऐसे अराजपत्रित प्रावैधिक तथा अप्रावैधिक पद, जिन पर नियुक्तियाँ सरकारी विभागों / विभागाध्यक्षों / संलग्न कार्यालयों द्वारा की जाती है, के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रियाओं में एकरूपता नहीं है । कुछ क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को चयन का भार दिया हुआ है और कुछ नियुक्तियाँ नियोजनालयों या अन्य स्रोतों से नाम मांगकर की जाती है । उक्त पदों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पूर्व में इन विषयों से सम्बन्धित सभी आदेशों / परिपत्रों का अवक्रमण करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि तृतीय श्रेणी के ऐसे प्रावैधिक एवं अप्रावैधिक पदों, जिन पर नियुक्तियाँ राज्य सचिवालय के विभागों / विभागाध्यक्षों / संलग्न कार्यालयों द्वारा की जाती है, के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन हेतु बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद का गठन किया जाय, जिसकी रूपरेखा एवं कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार होगी :-

(क) ''बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद'' कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का एक संलग्न कार्यालय होगा । इस पर्षद के लिये एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य (जिनमें एक परीक्षा-नियंत्रक के कार्य करेंगे) होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपबन्धों एवं सरकारी सेवा शर्तों के अधीन की जायेगी तथा वे पूरी तौर से सरकारी सेवक होंगे । पर्षद को यथावश्यक, राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराये जायें ।

(ख) ''बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद'' राज्य सरकार के सचिवालय / विभागों / विभागाध्यक्षों तथा संलग्न कार्यालयों के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सभी प्रावैधिक एवं गैर-प्रावैधिक तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त हेतु चयन प्रक्रियाओं का संचालन करेगी और उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी । सम्प्रति, लोक सेवा आयोग द्वारा जिन अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन सम्बन्धी कार्रवाई की जाती है, वे सभी कार्य ''बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद'' को तुरत स्थानान्तरित कर दिए जाएं ।

(ग) ''बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद'' उपयुक्त कंडिका (क) में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों के चयनार्थ प्रतियोगिता परीक्षाओं के अतिरिक्त, ऐसी परीक्षाओं का भी संचालन करेगी, जो नीचे स्तर के अराजपत्रित पदों से ऊँचे स्तर के अराजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित हो । इनमें चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नति हेतु विहित परीक्षा का संचालन भी सम्मिलित रहेगा ।

(घ) विभिन्न स्तर के पदों हेतु उम्मीदवारों का चयन उस स्तर के लिये विहित परीक्षा या अन्य निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर पर्षद द्वारा किया जायगा ।

(च) परीक्षाओं के स्तर, विषय आदि के सम्बन्ध में पर्षद प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की स्वीकृति प्राप्त करेगा ।

(छ) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त "बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद" राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का भी सम्पादन करेगा ।

2. पर्षद के अध्यक्ष

(i) नियुक्ति एवं वेतन —पर्षद के अध्यक्ष का पद 3,000 रु० के वेतन में होगा और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तथा उनके समकक्ष-स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध सभी सुविधायें उन्हें भी उपलब्ध होगी ।

(ii) कर्त्तव्य एवं जिम्मेवारी —पर्षद के प्रशासनिक प्रधान के रूप में अध्यक्ष निम्नांकित कार्यों की जिम्मेवारी वहन करेंगे ।

(अ) सरकारी विभागों/विभागाध्यक्षों/संलग्न कार्यालय से, उनके द्वारा समय-समय पर नियुक्तियाँ हेतु गैर-प्रावैधिक एवं प्रावैधिक तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की सूचनायें प्राप्त करेंगे ।

(आ) विज्ञापन के माध्यम से उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र-आमंत्रित करेंगे ।

(इ) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाँच की व्यवस्था करेंगे ।

(उ) प्रतियोगिता परीक्षाओं और / या अन्तर्वीक्षा (interview), जिस सेवा के लिए सरकार द्वारा जैसी प्रक्रियायें निर्धारित हो, के द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करेंगे ।

(ए) चयन किये गये उम्मीदवारों के नाम, पद एवं योग्यता क्रम से सम्बन्धित कार्यालय को भेजेंगे।

(ओ) उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुशंसा करने के क्रम में अध्यक्ष ऐसा आश्वस्त हो लेंगे कि उनकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्तियाँ करने में सम्बन्धित विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित आरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम हो सके ।

(क) "पर्षद" द्वारा नियुक्तियों के लिये की गयी अनुशंसाओं का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेंगे।

(ख) "बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद" के कार्यकलापों तथा उनकी अनुशंसाओं का विभाग द्वारा कार्यान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से उपस्थापित करेंगे ।

(ग) समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सौंपे जाने वाले कर्त्तव्यों का सम्पादन करेंगे ।

3. सदस्य

(i) स्तर एवं नियुक्ति —पर्षद के सदस्यों का पद-स्तर एवं वेतनमान सचिवालय विभागों के विशेष सचिव / अपर सचिव का होगा, जिनकी नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों की सेवायें कम-से-कम दस वर्ष की हों। उनके समकक्ष पदाधिकारियों को उपलब्ध सभी सुविधायें, तथा विशेष वेतन, आदि उन्हें भी उपलब्ध होगी ।

(ii) कर्त्तव्य, जिम्मेवारी एवं कार्यकाल :—

(अ) सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, परीक्षा-नियंत्रक का पद प्रभार सौंपेंगे, जो परीक्षा-संचालन एवं परीक्षाफल के प्रकाशन के प्रभार में रहेंगे ।

(आ) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सदस्यों को जो भी कर्त्तव्य एवं जिम्मेवारी सौंपे जायेंगे, उनका वे सम्पादन करेंगे ।

(इ) पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम पाँच वर्ष का होगा।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में "बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद" के अध्यक्ष "विभागाध्यक्ष" की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा पर्षद के परीक्षा नियंत्रण के प्रभारी सदस्य कार्यालय-प्रधान रहेंगे।

5. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी

(i) "बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद" के लिए निम्नांकित अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन तुरत किया जाय :–

(1) सचिव — 1 ... ... (सचिवालय के संयुक्त / उप-सचिव के वेतनमान में सभी अन्य आनुषंगिक सुविधायें, तथा विशेष वेतन आदि के साथ)।

(2) अवर सचिव — 1 ... ... (सचिवालय के अवर सचिव के वेतनमान में, सभी अन्य आनुषंगिक सुविधायें, यथा विशेष वेतन, आदि के साथ)।

(3) प्रशाखा पदाधिकारी — 1

(4) सहायक — 4

(5) वरीय निजी सहायक — 1 (अध्यक्ष के लिए)

(6) निजी सहायक — 4

(7) टंकक — 2

(8) चर्यालिपिक — 2

(9) ड्राइवर — 1

(10) दफ्तरी — 1

(11) आदेशपाल — 14

(12) दरबान — 2

(13) फरास — 2

(14) झाड़ूकश — 1

(ii) पर्षद के कार्य आरम्भ होने के बाद, लोक सेवा आयोग के ऐसे सभी कर्मचारियों के पद "बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद" को तुरत स्थानान्तरित हो जायेंगे, जो लोक सेवा आयोग को अराजपत्रित पदों पर उम्मीदवारों के चयन-कार्य-संचालन हेतु समय-समय पर स्वीकृत किये गये हैं।

(iii) पर्षद के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. वित्तीय उपबंध

(I) पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के अतिरिक्त निम्नांकित मदों पर व्यय के लिए भी उनके सामने अंकित वित्तीय स्वीकृति तुरत निर्गत किये जायँ :-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | विज्ञापन ... ... .. | 60,000.00 रु० (आवर्त्तक)। |
| (ii) | यात्रा भत्ता ... ... .. | 25,000.00 रु० (आवर्त्तक)। |
| (iii) | स्टाफ कार ... ... .. | 62,000.00 रु० (अनावर्त्तक)। |
| (iv) | कार्यालय-व्यय (उपस्कर, स्टेशनरी आकस्मिक, आदि) | 80,000.00 रु० (अनावर्त्तक)। |

(II) "बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद" की स्थापना के प्रारम्भ में होने वाले वार्षिक व्यय की एक अनुमानित विवरणी संलग्न है, जिसके अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (बजट शाखा) अपने बजट शीर्ष में उपर्युक्त निधि का उपबन्ध तुरत करेंगे।

7. पर्षद का मुख्यालय पटना में रहेगा तथा इसका कार्यालय सचिवालय से बाहर स्थित किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जायेगा ।

आदेश—(1) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के एक असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार / सभी सरकारी विभागों / विभागाध्यक्षों / संलग्न कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु तुरत आवश्यक आदेश निर्गत किये जायँ और निधि के उपबन्ध की व्यवस्था की जाय ।

(3) ये आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
बी०एन० झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

---

राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय-विवरणी

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आवर्त्तक | | | | | | |
| | (i) | वेतन-भत्ते | ... | .. | 3,50,000 | 4,35,000 रुपये |
| | (ii) | विज्ञापन | ... | ... | 60,000 | |
| | (iii) | यात्रा-भत्ता | ... | ... | 25,000 | |
| अनावर्त्तक | | | | | | |
| | (iv) | स्टाफ-कार | ... | ... | 62,000 | 1,42,000 रुपये |
| | (v) | कार्यालय स्थापना | ... | ... | 80,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कुल योग | ... | 5,77,000 | रुपये । |
| वार्षिक कुल अनुमानित व्यय | ... | 5,77,000 | रु० |

(पाँच लाख सतहत्तर हजार रुपये)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
बी०एन० झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

संख्या 21-एस०एस०एस०बी०
बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना

प्रेषक,

श्री विनोद,
सचिव,
बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद ।

प्रेषित,

सभी विभाग /
सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 7 जुलाई, 1981 ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के ऐसे सभी अराजपत्रित, प्रावैधिक तथा अप्रावैधिक पद, जिन पर नियुक्तियाँ सरकारी विभागों / विभागाध्यक्षों / संलग्न कार्यालयों द्वारा की जाती हैं, के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद का गठन किया है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार) ने एक संकल्प ज्ञाप संख्या का०प्र०सु० 3-301/79-23 प्र०सु०, दिनांक 20 अप्रील, 1981 को जारी किया है जिसकी दो-दो प्रतियाँ इसके साथ जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न है । जिन विभागों द्वारा विभिन्न कोटि के तृतीय श्रेणी के पदों के लिए रिक्वीजीशन लोक सेवा आयोग को पूर्व में भेजा जाता रहा है अब आगे से ऐसा रिक्वीजीशन बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद को कृपया भेजा जाय ।

2. सम्प्रति समाज आयोजन, वाणिज्य-कर निरीक्षक, सहायक प्रोवेशन पदाधिकारी एवं वनपाल के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ हेतु जो रिक्वीजीशन लोक सेवा आयोग को पूर्व में भेजा गया है उसे पर्षद ने अपना लिया है और इन पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की दिशा में प्रक्रिया चालू है । इनके अतिरिक्त और कोई रिक्वीजीशन लंबित हो तो उसे कृपया पर्षद को भेजें ।

3. रिक्वीजीशन फार्म पूर्ववत्, अर्थात जिस फार्म में लोक सेवा आयोग को रिक्वीजीशन भेजी जाती थी, रहेगा ।

4. अनुरोध है कि नियुक्ति हेतु रिक्वीजीशन निम्न पते पर भेजी जाय ।

सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद,
द्वारा—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना

विश्वासभाजन,
विनोद,
सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद ।

**ज्ञाप संख्या का०/प्र०सु० 3-301/79-68**

**बिहार सरकार**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

(प्रशासनिक सुधार)

सेवा में, सभी सरकारी विभाग / सचिवालय के सभी विभागाध्यक्ष। पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 1981

विषय :- तृतीय श्रेणी के अराजपत्रित प्रावैधिक एवं अप्रावैधिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में ।

कुछ विभागों / विभागाध्यक्षों द्वारा, सरकार का ध्यान बिहार अवर सेवा चयन पर्षद के गठन सम्बन्धी राजकीय संकल्प संख्या का०/प्र० सु० 3-301/79-23 प्र० सु०, दिनांक 20 अप्रील, 1981 की ओर आकृष्ट करते हुए सारांशत: निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण एवं निदेश की अपेक्षा की गयी है :-

(i) अवर सेवा चयन पर्षद तथा विभागाध्यक्षों के नियोजन हेतु चयन का प्राधिकार ।

(ii) मुख्य सचिव के पत्र संख्या 3/आर० 1-103/73 (खण्ड) का०-6489, दिनांक 23 मई, 1981 द्वारा वर्ग 3 एवं 4 के सभी रिक्त पदों को 30 जून, 1981 तक भर जाने के निदेश पर अवर सेवा चयन पर्षद के गठन का क्या प्रभाव होगा ।

(iii) वर्ग 3 के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में पर्षद को माँग-पत्र, आदि भेजने के सम्बन्ध में निदेश ।

2. उपर्युक्त बातों पर अवर सेवा चयन पर्षद सम्बन्धी उपर्युक्त संकल्प के क्रम में बिन्दुवार स्पष्टीकरण नीचे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिया जा रहा है :-

(क) बिन्दु (i) अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा ही विभागाध्यक्षों के कार्यालयों एवं उनके अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के ऐसे पदों पर, जिनकी नियुक्तियाँ अभी विभागाध्यक्षों के द्वारा की जा रही हैं, चयन की कार्रवाई की जायेगी । जो नियुक्ति वर्त्तमान में क्षेत्र के विभागाध्यक्ष, यथा प्रमण्डलीय आयुक्त, अधीक्षण अभियन्ता इत्यादि एवं जिला-स्तर के पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा की जाती है, यथावत् उनके द्वारा की जाती रहेगी ।

बिन्दु (ii) जिन पदों पर, मुख्य सचिव के पत्र संख्या का०-6489, दिनांक 23 मई, 1981 के आलोक में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी हो, अर्थात् 30 जून, 1981 के पूर्व नियुक्ति करनी थी, उन पर पूर्व की निहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जा सकती है । परन्तु, जिन नियुक्तियों के सम्बन्ध में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई हो और ऐसी नियुक्तियों के लिये चयन का प्रभार उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार अवर सेवा चयन पर्षद को सुपुर्द हो गया हो, वैसे सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माँग-पत्र उक्त पर्षद को भेजा जाना है ।

बिन्दु (iii) अवर सेवा चयन पर्षद के सचिव के पत्र संख्या 21-एस० एस० एस० बी०, दिनांक 7 जुलाई, 1981 (प्रतिलिपि अनुलग्न) द्वारा सभी विभागों / विभागाध्यक्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन हेतु माँग-पत्र माँगा जा चुका है । तदनुसार सभी विभाग / विभागाध्यक्ष अपने-अपने अधीनस्थ रिक्त पदों के सम्बन्ध में माँग-पत्र सीधे अवर सेवा चयन पर्षद को देंगे ।

बिन्ध्य नाथ झा,

विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या का०/प्र०सु० 3-301/79-68 पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 1981 ।

प्रतिलिपि श्री मनोज कुमार मंडल, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं नियोजन विभाग को उनके पत्र संख्या 8/ई-10/81-101, दिनांक 6 जून, 1981 के प्रसंग में प्रेषित ।

बिन्ध्य नाथ झा,

विशेष सचिव ।

अधियाचना-पत्र

विभाग एवं कार्यालय का नाम ..........................................................................................

1. रिक्त पद का नाम ..........................................................................................
2. आरक्षण पर कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग की सहमति प्राप्त करने की संख्या एवं तिथि ....................
3. रिक्तियों की कुल संख्या एवं आरक्षणवार वितरण —

| | |
|---|---|
| 01– अनारक्षित | ... |
| 02– अनुसूचित जाति | ... |
| 03– अनुसूचित जन-जाति | ... |
| 04– अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | ... |
| 05– पिछड़ा वर्ग | ... |
| 06– गैर-अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गैर अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग। | ... |
| 07– महिला वर्ग | ... |
| कुल योग | |

4. सेवा जिसमें रिक्ति है ...
5. (क) कर्त्तव्य का विवरण ...
   (ख) कार्य क्षेत्र जहां सेवा अपेक्षित है ...
6. अपेक्षित योग्यता –
   (क) शैक्षणिक (आवश्यक एवं वांछनीय अलग-अलग) ...
   (ख) अनुभव ...
7. वेतनमान / विशेष वेतन इत्यादि –
   (क) सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के लिए ...
   (ख) सरकारी सेवा में पूर्व से नियुक्त व्यक्ति के लिए ...
8. और कोई सुविधा, यथा निःशुल्क आवास, इत्यादि ...
9. आयु-सीमा (रियायतों का पूरा विवरण सहित) ...
10. राष्ट्रीयता ...
11. डोमिसाईल ...
12. किसी जाति विशेष व्यक्तियों के लिए रियायत यदि हो तो कहाँ तक दी जायगी। ...
13. और कोई योग्यता जिसका उल्लेख ऊपर के शीर्षकों में नहीं है। ...

14. सरकारी कर्मचारी उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं ...
15. परीक्ष्यमान नियुक्ति की अवधि ...
16. स्थायी / अस्थायी, यदि अस्थायी है तो उसकी अवधि ...
17. ठीके पर या नहीं ...
यदि हाँ तो उसकी अवधि ...
18. नोटिस द्वारा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है या नहीं, यदि हाँ, तो किन पदों पर। ...
19. पेंशन की सुविधा है या नहीं
20. छुट्टी की सुविधा है या नहीं ...
21. क्या उच्चतर आरम्भिक वेतन दिया जा सकता है ...
22. उच्चतर पदों तथा वेतनमान में प्रोन्नति की सम्भावना ...
23. लिखित परीक्षा लेना हो तो उसका विषय ...

तिथि ..........................................................

कार्यालय का नाम एवं पता ..........................
..........................................................

दूरभाष ..........................................................

नियोजन पदाधिकारी का हस्ताक्षर ......................

नाम ..........................................................

पदनाम ..........................................................

------

पत्र संख्या 3/आर०-103/73 (खण्ड) का० 6489

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,	श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर,

मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय आयुक्त-सह-सचिव /

सभी विभागाध्यक्ष /

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 23 मई, 1981 ।

विषय :- वर्ग-3 एवं 4 के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्गत पत्र संख्या 2506, दिनांक 16 जुलाई, 1980, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 16440 तथा 16441, दिनांक 3 दिसम्बर, 80 एवं मुख्य मंत्री के 1980-82 के बजट भाषण के मद संख्या 116 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे अनुरोध करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन वर्ग 3 के पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं वैसे सभी वर्ग 3 एवं 4 के रिक्त पदों का सरकार द्वारा निरूपित प्रक्रिया को अपना कर नियुक्ति शीघ्र की जाय ताकि अधिकतम बेरोजगार व्यक्तियों को नियोजन की सुविधा मिल सके ।

2. अनियोजन की समस्या को कम करने के लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून, 1981 तक सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में, निगमों एवं दूसरे प्रतिष्ठानों में जितनी रिक्तियाँ हैं उनको नियमानुसार भरा जाय ।

3. इसी उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी विभागों, लोक प्रतिष्ठानों, नियोजनालयों एवं सबार्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा आवेदन-पत्र लिये जाने में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4. सभी सम्बद्ध पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त निर्धारित तिथि तक वर्ग 3 एवं 4 के सभी रिक्त पद भर दिये जायें ।

विश्वासभाजन

ह०/- प्रेम प्रसाद नैय्यर

मुख्य सचिव

बिहार सरकार, पटना ।

[65]

संख्या–3/आर०1-303/80 का०-814 दिनांक 22 जनवरी, 1981

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग /

सभी विभागाध्यक्ष ।

**विषय :- अनुकम्पा के आधार पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की नियुक्ति में प्राथमिकता देने के संबंध में ।**

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित जो संचिकायें कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भेजी जाती हैं उसमें से अधिकांश संचिकाओं में ऐसा पाया जा रहा है कि विहित प्रपत्र में दिये गये आवेदन पत्र के सुसंगत स्थानों पर विभागाध्यक्ष की स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं रहती है तथा मृत सरकारी कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उससे प्राप्त आय के सम्बन्ध में सम्बन्धित अंचलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संचिका में उपलब्ध नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि विभाग के कार्यालय-टिप्पणी के आधार पर ही संचिका वहाँ के अवर सचिव, उप-सचिव द्वारा कार्मिक विभाग को पृष्ठांकित कर दी जाती है और टिप्पणी में कार्मिक विभाग के परिपत्रों के आलोक में विस्तृत जाँच नहीं की जाती है ।

अतः अनुरोध है कि ऐसे प्रस्तावों को कार्मिक विभाग में भेजने के पूर्व विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि विहित आवेदन पत्र के खण्ड-2 में विभागाध्यक्ष की अनुशंसा प्राप्त हो तथा संचिका में चल / अचल सम्पत्ति तथा उससे प्राप्त आय के सम्बन्ध में सम्बन्धित अंचलाधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो । साथ-साथ संचिका कार्मिक विभाग को विभागीय सचिव के स्तर से ही उनकी अनुशंसा के साथ कृपया पृष्ठांकित की जाय ।

ह०/- अ० कु० बसाक

आयुक्त एवं सचिव ।

------

[66]

**पत्र संख्या 3/आर 1-103/73-का०–16440**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर,

सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग (नाम से) / सभी विभागाध्यक्ष (नाम से) /

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त (नाम से) /

सभी जिला पदाधिकारी (नाम से) ।

दिनांक 3 दिसम्बर, 1980 ।

**विषय :- सरकारी कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी कार्यालयों में वर्ग-3 के वैसे पदों को छोड़कर जिन पर वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है, अन्य सभी पदों पर नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 1918, दिनांक 28 जनवरी, 1976 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निरूपित है । सभी बिन्दुओं को भलीभाँति विचार कर सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के निमित्त निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय :-

(1) (क) सभी कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना होगा, और स्कूल तथा कॉलेज की परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को आधार मान कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जायगा एवं इसी मेरिट लिस्ट से उपर्युक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुदेशकों के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायगी ।

(ख) सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के सक्षम प्राधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के समकक्ष प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर वर्ष के प्रारंभ में अपने द्वारा भरे जाने वाले पदों को लेकर वास्तविक एवं वर्ष के अन्दर होने वाली रिक्तियों की सूचना सम्बद्ध कार्यालयों से एकत्रित करके एक साथ आवेदन आमंत्रित करेंगे । इन्हीं आवेदकों में से रिक्ति के अनुसार सुयोग्य व्यक्तियों का चयन होगा, एवं कौमन मेरिट लिस्ट से आवश्यकतानुसार, नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विभिन्न संबद्ध कार्यालयों को सुयोग्य व्यक्ति आबंटित किये जायेंगे । उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कार्यालय के लिए करेंगे ।

(ग) सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में तथा जिला स्तर पर होने वाली रिक्तियों के आकलन अलग-अलग किये जायेंगे । इसके बाद सारी रिक्तियाँ, निकटतम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को सूचित की जायेगी जिनके कार्यक्षेत्र में सम्बद्ध कार्यालय आते हैं । ऐसा होने से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलेगी । साथ ही प्राप्त आवेदनों की संख्या भी एक सीमा के अन्दर रहेगी ।

(घ) नियुक्तियों में आरक्षण और प्रश्रय देने से संबंधित सभी सरकारी आदेशों का सम्यक रूप से अनुपालन किया जायगा । निर्धारित मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए उनके लिए सामान्य मानक को शिथिल किया जायगा, बशर्त्ते कि इन जातियों के व्यक्ति नियुक्ति के लिए बिल्कुल अयोग्य न हो ।

(ङ) (i) सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए एक चयन समिति रहेगी जिसके अध्यक्ष होंगे, संबद्ध स्थापना के प्रमुख और सदस्य होंगे उसी स्थापना के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें स्थापना के प्रमुख मनोनीत करें । दूसरे सदस्य होंगे विभाग में उपलब्ध अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी। ऐसे पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे विभाग में यदि उस कोटि के पदाधिकारी उपलब्ध हो तो उनको समिति में शामिल किया जाय और यदि यह भी संभव न हो सके तो कार्मिक विभाग के संयुक्त / उप-सचिव जो अनुसूचित जाति / जनजाति संबंधी कार्यों का सम्पादन करते हैं, को एक सदस्य के रूप में रखा जाय ।

(ii) जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष सम्बद्ध स्थापना के जिला स्तरीय प्रमुख (District Head) होंगे और उसी स्थापना के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें उनके जिला स्तरीय प्रमुख मनोनीत करे इसके सदस्य होंगे । दूसरे सदस्य रहेंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी ताकि अनुरक्षण संबंधी सरकारी आदेश की मेरिट लिस्ट तैयार करते समय अवहेलना न होने पावे ।

(च) मेरिट लिस्ट दो भागों में तैयार होगी पार्ट ''ए'' और पार्ट ''बी'' । पार्ट ''ए'' में रिक्तियों के अनुसार सुयोग्य व्यक्तियों के नाम अंकित रहेंगे एवं पार्ट ''बी'' प्रतीक्षक सूची जैसी होगी, जिससे बाद की किन्तु वर्ष के भीतर होने वाली रिक्तियों में नियुक्तियाँ की जा सकेंगी ।

(छ) मोफस्सिल कार्यालयों में जहाँ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण ज्ञान अनिवार्य कर दिया है वैसे कार्यालयों में लिपिक के रिक्त पदों के लिये आवेदन-पत्रों में से मात्र उन्हीं उम्मीदवारों की सूची संकल्प संख्या 9118, दिनांक 28 जनवरी, 1978 में विहित प्रक्रिया के आधार पर तैयार की जाय जिन्हें उपर्युक्त टंकण में विहित ज्ञान का मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाण-पत्र प्राप्त है । तदुपरान्त जाँच परीक्षा में जिन्हें विहित टंकण गति प्राप्त हो, उन्हें ही उपर्युक्त सूची से क्रमानुसार नियुक्त किया जाय ।

टंकक, आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये जहाँ सामान्य शैक्षणिक योग्यता के अलावे किसी खास विशेषता में पटु होना आवश्यक है, आवेदकों की टंकण / आशुलेखन ज्ञान में निपुणता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाय और इस सूची से क्रमानुसार नियुक्ति की जाय ।

(2) इस संबंध में मेरे हस्ताक्षर से निर्गत दो परिपत्र, मंत्रिमण्डल सचिवालय के पत्र संख्या 2506 दिनांक 16 जुलाई, 1980 एवं कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 11 / आर 1-501/80-का०-520 दिनांक 16 सितम्बर, 1980 की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(3) सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि उपर्युक्त संकल्प में निहित प्रक्रिया के अनुसार वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जा रही हैं । विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई नहीं करने का स्पष्ट अर्थ है, सरकारी आदेश की अवहेलना जो बड़े ही खेद की बात है । अत: आशा की जाती है कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियाँ उपर्युक्त संकल्प में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाय । प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया विहित है उसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक हो । यदि यह पाया गया कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ठीक रूप से नहीं किया गया है तो सरकार को बाध्य होकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी । जिस किसी पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है तो तुरन्त जाँच की जायेगी और आरोप सत्यापित हुआ तो उस पदाधिकारी को तुरत निलम्बित कर दिया जायेगा और उन्हें सेवा से हटाने की विभागीय कार्यवाही की जायेगी । ऐसी गलत नियुक्तियाँ तुरत रद्द कर दी जायेंगी।

(4) मंत्रिमण्डल सचिवालय से निर्गत पत्र 2506 दिनांक 16 जुलाई, 1980 में यह अनुरोध किया गया था कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्त्ती किये जाने वालें वर्ग-3 के पदों से भिन्न इसी वर्ग के अन्य पदों पर की गयी नियुक्तियों के संबंध में एक अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 तक प्रस्तुत करें । खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि एक दो को छोड़कर अधिकांश कार्यालयों से अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: पुन: अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक निश्चित रूप से उपर्युक्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कार्मिक विभाग को भेजा जाये, तत्पश्चात इस संबंध में त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुवर्त्ती माह के 15 तारीख तक नियमित रूप से कार्मिक विभाग को भेजने की कृपा करें । उदाहरणस्वरूप त्रैमासान्त 31 मार्च, 1981 का प्रतिवेदन 15 अप्रैल, 1981 तक, 30 जून, 1981 का प्रतिवेदन 15 जुलाई, 1981 तक, त्रैमासान्त 30 सितम्बर, 1981 का प्रतिवेदन 15 अक्टूबर, 1981 तथा त्रैमासान्त 31 दिसम्बर, 1981 का प्रतिवेदन 15 जनवरी, 1982 तक भेजने की कृपा करें ।

(5) सरकार यह भी चाहती है कि सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी नियुक्ति की इस पद्धति की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में करें और कार्मिक विभाग को एक समीक्षात्मक टिप्पणी अनुवर्त्ती माह के 15 तारीख तक प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिक्त पदों के भरने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है और विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

(6) कृपया अपने अधीनस्थ सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को सरकार के इस आदेश से अवगत करा दिया जाय।

(7) कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

विश्वासभाजन,
पी० पी० नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव।

सं० 16372-का

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

**संकल्प** 2 दिसम्बर 1980

विषय :- अनुसूचित जाति / जनजाति तथा पिछड़ी जाति, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी नीति के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन ।

सरकार, सरकारी निकायों एवं सरकार संपोषित प्रतिष्ठानों की नौकरियों में अनुसूचित जाति / जनजाति के वांछित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान कई दशकों से लागू है । समय-समय पर राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अलावे अन्य एजेन्सियों, विशेष कर हरिजन आदिवासी के आयुक्त जैसे संवैधानिक एवं स्वतंत्र प्राधिकार द्वारा समीक्षाएँ की जाती रही हैं। इन समीक्षाओं के फलस्वरूप नौकरियों में इनके प्रतिनिधित्व संबंधी जो वास्तविक स्थिति उभर कर सामने आती है, वह उत्साहवर्द्धक नहीं रही है । इतने वर्षों से आरक्षण लागू होने के बावजूद सरकार तथा सरकारी संस्थानों की नौकरियों में हरिजन तथा आदिवासियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत में नहीं हो पाया है । इस स्थिति से सरकार चिन्तित है । हाल में पिछड़ी जाति, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण किया गया है । इस नीति का भी कार्यान्वयन आवश्यक है ।

2. आरक्षण संबंधी नीति के कारगर कार्यान्वयन, मोनिटरिंग, विभागों एवं सम्बद्ध एजेन्सियों के बीच वांछित फलदायक समन्वय, इसके कार्यान्वयन में बरती जाने वाली उदासीनता एवं शिथिलता के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को आवश्यकतानुसार तत्काल अनुशासित करने, कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न कठिनाइयों की तत्परता से पहचान तथा अविलम्ब स्थल पर निराकरण हेतु आवश्यक निर्णय लेने एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन देने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग में विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष के रूप में विभागीय मंत्री के अलावे चार विधायक इसके सदस्य होंगे । सभी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि सभी प्रकार के आरक्षण को निर्धारित कोटा से पूरा किया जाए।

हरिजन एवं आदिवासी का पुराना कोटा पूरा करने की विशेष कार्रवाई की जाय, समिति की राय में जो पदाधिकारी सरकारी आरक्षण आदेश का पालन नहीं करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाएगा और ऐसे पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई चलाई जाएगी ।

3. विभागवार समिति निम्न प्रकार होगी :-

गृह विभाग, सूचना एवं जन-सम्पर्क और पर्यटन ।

1. मुख्य मंत्री – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री रामेश्वर पासवान, स०वि०स० ।
3. श्री रत्नाकर नायक, स०वि०स० ।
4. श्री सुरेश प्रसाद यादव, स०वि०स० ।
5. श्री मो० हिदायतुल्ला खाँ, स०वि०स० ।
6. गृह आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

राजभाषा विभाग एवं श्रम एवं नियोजन ।

1. श्री योगेश्वर प्रसाद 'योगेश' – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2 श्री राम नारायण राम, स०वि०स० ।

3. श्री उमरांव साधो कुजूर, स०वि०स० ।

4. श्री श्रीकृष्ण पटेल, स०वि०स० ।

5. श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० ।

6. श्रम सचिव एवं आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

पशु एवं मत्स्य पालन विभाग ।

1. श्री अब्दुस शमी नदवी – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री जी० एस० रामचन्द्र दास, स०वि०स० ।

3. श्री थोमस हंसदा, स०वि०स० ।

4. श्री शिवनन्दन प्रसाद, स०वि०स० ।

5. श्री रामजी सिंह, स०वि०स० ।

6. पशुपालन आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

वित्त विभाग एवं योजना और विकास ।

1. मुख्य मंत्री – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री रघुनन्दन मांझी, स०वि०स० ।

3. श्री सनातन सरदार, स०वि०स० ।

4. श्री विश्वनाथ गुरमैता, स०वि०स० ।

5. श्री उमाशंकर सिंह, स०वि०स० (सुपौल) ।

6. वित्तीय आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

ग्रामीण विकास विभाग ।

1. श्री चौधरी मोहम्मद सलाहुद्दीन – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री यमुना प्रसाद राम, स०वि०स० ।

3. श्री थोमस हंसदा, स०वि०स० ।

4. श्री अवध बिहारी सिंह, स०वि०स० ।

5. श्री तालिब अन्सारी, स०वि०स० ।

6. आयुक्त, ग्रामीण विकास – सदस्य-सचिव ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

1. मुख्य मंत्री – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री महावीर पासवान, म०वि०स० ।

3. श्री बन्दी उरांव, स०वि०स० ।

4. श्री रामलखन सिंह यादव, स०वि०स० ।

5. श्री अर्जुन विक्रम साह, स०वि०स० ।

6. कार्मिक आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

उद्योग एवं संसदीय कार्य विभाग ।

1. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री सीताराम प्रसाद, स०वि०स० ।

3. श्री एस०के० बागे, स०वि०स० ।

4. श्री रघुनन्दन प्रसाद, स०वि०स० ।

5. श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० ।

6. औद्योगिक विकास आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

सिंचाई एवं विद्युत् विभाग ।

1. मुख्य मंत्री – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री महावीर चौधरी, स०वि०स० ।
3. श्री बन्दी उरांव, स०वि०स० ।
4. श्री रघुनन्दन प्रसाद, स०वि०स० ।
5. श्री विश्वमोहन शर्मा, स०वि०स० ।
6. सिंचाई आयुक्त– सदस्य-सचिव ।

विधि एवं लघु सिंचाई विभाग ।

1. श्री जगनारायण त्रिवेदी – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री महेश राम, स०वि०स० ।
3. श्री देवी लाल माटीसेाय, स०वि०स० ।
4. डा० रामराज प्रसाद सिंह, स०वि०स० ।
5. श्री अजीत प्रसाद सिंह, स०वि०स० ।
6. विशेष सचिव, लघु सिंचाई – सदस्य सचिव ।

लोक-कार्य विभाग ।

1. श्री बुद्धदेव सिंह – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री दूधनाथ पासवान, स०वि०स० ।
3. श्री देवेन्द्रनाथ चम्पिया, स०वि०स० ।
4. श्री जंगी सिंह चौधरी, स०वि०स० ।
5. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, स०वि०स० ।
6. लोक-कार्य आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

1. श्री लहटन चौधरी – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री संजीव कुमार टोनी, स०वि०स० ।
3. श्री रत्नाकर नायक, स०वि०स० ।
4. श्री जय कुमार पालित, स०वि०स० ।
5. श्री श्यामनारायण पाण्डेय, स०वि०स० ।
6. भूमि सुधार आयुक्त– सदस्य-सचिव ।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

1. श्री करमचन्द भगत – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री रामलखन राम रमण, स०वि०स० ।
3. श्री इन्दुनाथ भगत, स०वि०स० ।
4. श्री राजा राम आर्य, स०वि०स० ।
5. श्री ज्ञान रंजन, स०वि०स० ।
6. उत्पाद आयुक्त – सदस्य-सचिव ।

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग एवं आवास ।

1. श्री शंकर दयाल सिंह – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री विश्वनाथ ऋषि, स०वि०स० ।
3. श्री लेयन्दर तिड्डू, स०वि०स० ।
4. श्री राम नगीना सिंह, स०वि०स० ।
5. श्री मोईजउद्दीन मुन्सी, स०वि०स० ।
6. खाद्य आयुक्त – सदस्य सचिव ।

नगर विकास एवं जन-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

1. श्री रमेश झा– अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री रामरतन राम, स०वि०स० ।
3. श्री जॉन हेम्ब्रम, स०वि०स० ।
4. श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० ।
5. श्री सरफराज अहमद, स०वि०स० ।
6. आयुक्त, नागरिक विकास – सदस्य-सचिव ।

कल्याण एवं परिवहन विभाग ।

1. श्री मिश्री सदा – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री त्रिलोकी हरिजन, स०वि०स० ।
3. श्री लेयन्दर तिड्डू, स०वि०स० ।
4. श्री अयोध्या प्रसाद, स०वि०स० ।
5. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, स०वि०स० ।
6. विशेष सचिव, कल्याण – सदस्य-सचिव ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।

1. डा० उमेश्वर प्रसाद वर्मा – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री कुंभ नारायण सरदार, स०वि०स० ।
3. श्री वैरागी उरांव, स०वि०स० ।
4. श्री सिंहेश्वर मेहता, स०वि०स० ।
5. श्री हेमन्त कुमार झा, स०वि०स० ।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य – सदस्य-सचिव ।

शिक्षा विभाग ।

1. श्री नशीरुद्दीन हैदर खाँ – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री तानेश्वर आजाद, स०वि०स० ।
3. श्रीमती मुक्तिदानी सुम्ब्रुई, स०वि०स० ।
4. श्री राजेन्द्रनाथ दास, स०वि०स० ।
5. श्री (प्रो०) योगेश्वर झा, स०वि०स० ।
6. आयुक्त, शिक्षा – सदस्य-सचिव ।

कृषि विभाग ।

1. श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री जितन राम मांझी, स०वि०स० ।
3. श्री लेयन्दर तिड्डू, स०वि०स० ।
4. श्री दारोगा प्रसाद राय, स०वि०स० ।
5. श्री महेन्द्र नारायण झा (बाबू बरही), स०वि०स० ।
6. आयुक्त, कृषि उत्पादन – सदस्य-सचिव ।

### सहकारिता, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग ।

1. श्री घनश्याम सिंह – अध्यक्ष

सदस्यगण

2. श्री शिव नन्दन पासवान, स०वि०स० ।
3. श्री सनातन सरदार, स०वि०स० ।
4. श्री अश्विनी कुमार शर्मा, स०वि०स० ।
5. श्री बंदी शंकर सिंह, स०वि०स० ।
6. सचिव, सहकारिता – सदस्य-सचिव ।

### खान एवं भूतत्व विभाग ।

1. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री श्रीचन्द सिंह, स०वि०स० ।
3. श्री उमरांव साधो कुजूर, स०वि०स० ।
4. श्री शरद कुमार जैन, स०वि०स० ।
5. श्री मदन मोहन चौधरी, स०वि०स० ।
6. आयुक्त, खनन – सदस्य – सचिव ।

### वन विभाग ।

1. श्री टी० मांत्रीगय मुन्डा – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री राधा कृष्ण किशोर, स०वि०स० ।
3. श्री सामू पाहन, स०वि०स० ।
4. श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव, स०वि०स० ।
5. श्री मोहम्मद ममसुद्दीन खाँ, स०वि०स० ।
6. विशेष सचिव, वन – सदस्य – सचिव ।

### विज्ञापन एवं प्रावैधिकी विभाग ।

1. मुख्य मंत्री – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री बनबारी राम, स०वि०स० ।
3. श्री टीकाराम माँझी, स०वि०स० ।
4. श्री ध्रुव भगत, स०वि०स० ।
5. श्री गौरी शंकर पाण्डेय, स०वि०स० ।
6. विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी – सदस्य-सचिव ।

### ईख विभाग ।

1. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह – अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. श्री फकीरचन्द राम, स०वि०स० ।
3. श्री एस० के० बागे, स०वि०स० ।
4. श्री घनश्याम महतो, स०वि०स० ।
5. श्री जगदीश शर्मा, स०वि०स० ।
6. आयुक्त, ईख – सदस्य-सचिव ।

4. इस समिति की बैठक त्रिमाह में एक बार अवश्य होगी । आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार भी इसकी बैठक हो सकती है ।

5. इस समिति के सदस्यों को विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में अनुमान्य यात्रा भत्ता ही अनुमान्य होगा और विधान-सभा सचिवालय से भुगतान किया जायेगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार / सचिव / लोक-सेवा आयोग / सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों तथा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अमिय कुमार बसाक,
आयुक्त एवं सरकार के सचिव

------

[ 67 ]

**पत्र संख्या-3/आर 1-103/73 का० 16441**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक, श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में सरकार के सभी विभाग (नाम से) /
सभी विभागाध्यक्ष (नाम से) /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त (नाम से) /
सभी जिला पदाधिकारी (नाम से) ।

पटना, दिनांक 3 दिसम्बर 1980

**विषय :- चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मुफस्सिल कार्यालयों में वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-7566 एवं 10747 क्रमश: दिनांक 16 मई, 1973 एवं 20 जून, 1975 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित है । सभी बिन्दुओं पर विचार कर सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के निमित्त निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय :-

(1) वर्दीधारी फोर्स की नियुक्ति केवल शारीरिक माप और शारीरिक जाँच के आधार पर की जाय। चूँकि सरकार पहले ही यह निश्चय कर चुकी है कि श्रेणी 3 और 4 के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अन्तर्वीक्षा नहीं ली जायगी । प्रत्येक उम्मीदवार के शारीरिक माप और शारीरिक जाँच का उल्लेख अलग-अलग किया जाय ।

(2) पुलिस सिपाहियों, बी०एम०पी० सिपाहियों, उत्पादकर सिपाहियों, वार्डरों और वनरक्षियों के पद पर संयुक्त सूची से भर्ती की जाय ।

(3) इच्छुक उम्मीदवारों को हरेक जिला मुख्यालय में बुलाया जाय और शारीरिक माप और शारीरिक जाँच करने के बाद हरेक जिला के लिये उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची तैयार की जाय। उम्मीदवारों की संख्या प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या से लगभग दुगुनी होगी ।

(4) समिति के अध्यक्ष के रूप में संबद्ध क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा सदस्य के रूप में उस जिले के आरक्षी अधीक्षक जिस जिले के सम्बन्ध में पैनल तैयार की जा रही है, बी०एम०पी० के वरिष्ठ कमांडेन्ट, उप-आयुक्त, उत्पादकर, प्रमण्डल के वरिष्ठ जिला वन पदाधिकारी (जहाँ पर पदस्थापित है) और अधीक्षक, केन्द्रीय कारा और यदि एक से अधिक केन्द्रीय कारा हो तो वरिष्ठ अधीक्षक रहेंगे । उप-निदेशक, कल्याण भी समिति के सदस्य बनाये जायें, ताकि समिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकारी अनुदेशों को कार्यान्वित करें और उनका हित सुरक्षित रखें ।

(5) यह समिति नियोजनालयों के माध्यम से नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या 8160, दिनांक 21 जून, 1966 में यथा निर्देशित विज्ञापन करएगी और पूरे प्रमण्डल के उम्मीदवारों की शारीरिक माप और शारीरिक जाँच की व्यवस्था के लिये जिम्मेवार होगी और योग्यताक्रम से एक सूची तैयार करेगी ।

(6) अन्य कोटि के चतुर्थवर्गीय पदों पर यथा साध्य स्थानीय क्षेत्रों से जिला नियोजनालय के माध्यम से की जाय । चूँकि जिला स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले सभी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए एक ही पैनेल तैयार की जायगी, जो एक वर्ष के लिये कार्यकारी रहेगी, जिला पदाधिकारी विस्तृत प्रचार कर आवेदनों की जाँच करेंगे और प्रत्येक आवेदक आवेदन में नियोजनालय निबंधन संख्या उद्धृत करेंगे । यदि किसी कारणवश जिला नियोजन पदाधिकारी उनका नाम अनुशंसित नहीं करते हैं तो समाहर्त्ता निबंधन संख्या के आधार पर आवेदन स्वीकार करेंगे और उस पर विचार करेंगे । नियुक्ति के लिये नियोजनालय द्वारा अनुशंसित सूची की जाँच आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी करेंगे ।

(7) ऐसे पदों पर भर्त्ती के लिए एक समिति गठित की जाय जिसके अध्यक्ष, जिलाधिकारी रहें तथा सदस्य के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय विभिन्न कार्य विभागों के 3 वरीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय विकास कार्यों से संबंधित विभागों के दो पदाधिकारी हों । चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिये प्रत्येक जिला में वित्तीय वर्ष के आरम्भ होते ही मई महीने तक सुयोग्य उम्मीदवारों की एक सूची उक्त समिति द्वारा अन्तिम रूप से तैयार कर ली जाय और इसी सूची के सभी कार्यालयों में पूरे वित्तीय वर्ष में नियुक्ति की जाय । जहाँ तक चालू वित्तीय वर्ष का संबंध है, अगर किसी जिला में ज्ञाप संख्या 10747, दिनांक 20 जून, 1975 के अनुसार सुयोग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गयी है तो उसी से चालू वर्ष के लिये नियुक्ति की जाय लेकिन अगर किसी जिला में उपर्युक्त ज्ञाप के अनुसार सूची नहीं तैयार की गयी है तो जिला स्तरीय उपर्युक्त समिति के द्वारा 31 दिसम्बर, 1980 तक सूची तैयार कर ली जाय । जिला पदाधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार 31 जनवरी, 1981 तक जिला स्तर पर स्थित प्रत्येक कार्यालय के लिये की गयी नियुक्तियों का ब्योरा संलग्न प्रपत्र में 15 फरवरी, 1981 तक प्रेषित करें । अगले वित्तीय वर्ष के लिये उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार तैयार की गयी सूची से नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को 15 जुलाई, 1981 तक भेजने की कृपा करें ।

(8) यह अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता नहीं हो । अगर किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो व्यथित व्यक्ति के द्वारा आयुक्त के समक्ष शिकायत-पत्र दिया जा सकता है । अगर जाँचोपरान्त आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि आरोप सही है तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायगी ।

(9) ऐसा पाया गया है कि बहुत-सी नियुक्तियाँ जो स्थानीय स्तर पर की जानी चाहिये वे मुख्यालय द्वारा कर दी जाती हैं । इस प्रक्रिया को अविलम्ब बन्द कर देना चाहिये । अगर इस अध्यादेश की अवहेलना कर कोई नियुक्तियाँ मुख्यालय द्वारा की जाती है तो उन्हें रद्द कर दी जायगी और जिन व्यक्तियों ने ऐसी नियुक्तियाँ की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी ।

(10) अनुरोध है कि वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियाँ उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ही की जाय । प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्ग 4 पदों पर

नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन दृढ़तापूर्वक हो । यदि यह पाया गया कि वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में किसी नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो सरकार को बाध्य होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी । अगर आरोप सत्यापित हो जाय कि किसी पदाधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है तो उस पदाधिकारी को तुरत निलंबित कर दिया जायगा और उस पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया की जायगी । ऐसी गलत नियुक्तियाँ तुरत रद्द कर दी जायगी । सरकार का यह भी निर्णय है कि अगर ऐसा पाया गया कि कोई नियुक्ति पदाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना कर चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्तियाँ करते हैं तो इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दिये गये वेतन भत्ते आदि राशि की वसूली उन्हीं से की जायगी ।

(11) अनुरोध है कि नियुक्ति करते समय आरक्षण आदेश से संबंधित सभी सरकारी अनुदेशों का सम्यक् रूप से अनुपालन अवश्य करें ।

(12) सरकार के सभी विभागों और विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सरकार के उपर्युक्त आदेश से अवगत करा दें और इस विषय पर निर्गत आदेश की एक प्रति कार्मिक विभाग को भी भेजने की कृपा करें ।

(13) प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सभी जिला पदाधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिला में समिति गठित कर ली गयी है और विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तियाँ के लिये कार्रवाई पूरी कर ली गयी है ।

(14) कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,
पी० पी० नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव ।

------

प्रपत्र

कार्यालय का नाम ........................................

विभाग ........................................

| नियुक्ति पदाधिकारी का नाम । | रिक्त पदों की संख्या | पद रिक्त होने की तिथि । | 31 जनवरी, 1981 तक की गयी नियुक्ति । | नियुक्ति की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------

[ 68 ]

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1902 (श०)

(सं० पटना 834) पटना, बुधवार, 27 अगस्त 1980

**सं० 10/परी०-11057/80-का०-850**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

---

**संकल्प**

22 अगस्त, 1980

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक के कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत पदों को कार्यरत दिनचर्या लिपिक, टंकक एवं अतिरिक्त तृतीय वर्ग के संबंधित सभी अनुसचिवीय कर्मचारियों से सीमित परीक्षा के आधार पर भरा जाना।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 627, दिनांक 28 अप्रील, 1979 एवं संकल्प संख्या 1187, दिनांक 10 जुलाई, 1979 द्वारा सरकार ने निर्णय लिया कि सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 जनवरी, 1979 को उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत सभी तृतीय श्रेणी के अनुसचिवीय कर्मचारियों से सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएं और यह विशेष सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जाए। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार दिसम्बर, 1979 में आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण 440 उम्मीदवारों में से 90 व्यक्तियों का ही आवंटन दिनांक 1 जनवरी, 1979 को उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत के आधार पर किया जा सका। दिनचर्या लिपिक / टंकक संघर्ष समिति की ओर से बाद में माँग की गयी कि उक्त परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवारों को सहायक के पद पर नियुक्त कर लिया जाए। उनकी माँग पर भलीभाँति विचार करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

(क) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की सफल सूची को दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रभावी रखा जाए एवं उक्त तिथि तक सहायक की उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद को उक्त सफल सूची से भरा जाय।

(ख) यदि दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक की 25 प्रतिशत रिक्तियों को भरे जाने के बाद भी उक्त सूची में सफल उम्मीदवार शेष रह जाते हैं, तो आगे की रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद के विरुद्ध भी उनकी नियुक्ति की जायगी, जबतक सूची पूर्णत: समाप्त नहीं हो जाए।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मो० युनुस,
सरकार के विशेष सचिव।

---

**[ 69 ]**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**ज्ञाप संख्या 3/आर 1-303/80 का० 6694** पटना-15, दिनांक 17 मई, 1980

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

**विषय :- सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 3/आर 1-304/74 का० 12754 दिनांक 12-7-77 (प्रतिलिपि संलग्न) के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि उक्त ज्ञापांक 12-7-77 को निर्गत हुआ है अत: उक्त ज्ञापांक में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को जो सहूलियत दी गयी है वह साधारणत: 12-7-77 से ही प्रभावी है । परन्तु चूँकि ज्ञापांक की कंडिका-4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस सहूलियत का लाभ सामान्यतया सरकारी सेवकों की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष तक प्राप्त रहेगी । अत: सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा वैसे मृत सरकारी सेवकों के परिवार के आश्रित सदस्यों को भी विहित शर्तों के अधीन अनुमान्य होगी, जिनकी मृत्यु इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि 12-7-77 के पूर्व दो वर्षों के अन्तर्गत अर्थात् 12-7-75 को या उसके बाद हुई हो ।

2 - उपर्युक्त निर्देशित ज्ञापांक की कंडिका-5 में यह उल्लेख है कि नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर होगी और सम्वर्गीय वरीयता के लिये इसकी मान्यता नहीं दी जायगी । विहित प्रक्रिया के पालन के बाद ही उनकी नियुक्ति नियमित की जा सकेगी । उस संबंध में सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नियमित आधार पर की जायेगी ।

ह०/- जिया लाल आर्य
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/आर 1-303/80 का० 6694 पटना-15, दिनांक 17 मई, 1980

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय तथा विधान मंडल के अधीन इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- जिया लाल आर्य
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/आर 1-303/80 का० 6694 पटना-15, दिनांक 17 मई, 1980

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि इसकी तीन हजार मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग को शीघ्र भेज दें ।

ह०/- जिया लाल आर्य
सरकार के विशेष सचिव ।

------

ज्ञाप संख्या 3/आर 1-304/73 का०-12754

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 12 जुलाई, 1977 ।

विषय :- सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते बहुतेरे मामले में उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है । ऐसी विपत्ति के समय संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को साहाय्य देने के प्रश्न पर शासन कुछ समय से विचार कर रहा था । इस संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सरकारी सेवकों के परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर, जहाँ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय । उक्त प्राथमिकता के लिये निम्नलिखित शर्त्त एवं तथ्य अनिवार्य होंगे :-

(1) मृत सरकारी सेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, अर्थात उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का जीविकोपार्जन का कार्य न करता हो और यदि करता भी हो तो उसकी आमदनी पूरे परिवार के साधारण भरण-पोषण के लिये अपर्याप्त हो एवं उसकी सम्पत्ति और देनदारी को देखते हुए इस प्रकार की सहूलियत देना जायज हो ।

(2) उपर्युक्त कोटि के सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हतायें उपलब्ध हों तथा उनकी उम्र विहित आयु-सीमा के अन्दर हो । विशेष परिस्थिति में सेवा-संहिता के नियम 54 के अधीन आयु सीमा में छूट दी जा सकती है ।

(3) नियुक्ति विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या 8167 नि० दिनांक 21 जून, 1966 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों को नियोजनालय में नामांकन कराना आवश्यक है किन्तु उक्त सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को इस आदेश से मुक्ति दी जाती है । साथ ही संबंधित व्यक्ति पद विशेष पर नियुक्ति के पात्र हैं या नहीं इसका निर्णय नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं करेंगे ।

(4) इस सहूलियत का लाभ सामान्यतया सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष तक प्राप्त रहेगा ।

(5) नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर होगी और संवर्गीय वरीयता के लिये इसको मान्यता नहीं दी जायगी । विहित प्रक्रिया के पालन के बाद ही उनकी नियुक्ति नियमित की जा सकेगी ।

(6) इस आदेश में उल्लिखित "परिवार" से सामान्य तात्पर्य है, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियाँ।

(7) मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य की नियुक्ति के लिये आवेदन देते समय अनिवार्य रूप से अनुलग्न सूचनायें भी देनी होगी ।

2 नियुक्ति प्राधिकारी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिये दिये गये आवेदन की तथ्यात्मक जाँच स्वतंत्र रूप से करने के बाद सम्बद्ध विभाग का आदेश प्राप्त करेगा और आदेश देने के पूर्व विभाग हर मामले में कार्मिक विभाग का परामर्श लेगा ।

3 सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्तशासी निकाय एवं स्थानीय संस्थायें तथा नगरपालिकाओं आदि से उपर्युक्त सुविधायें प्रदान करने के निमित्त निर्देश करें।

ह०/- सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या 3/आर 1-304/73 का० 12754 पटना, दिनांक 12 जुलाई, 1977।

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधान सभा / विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन वर्ग 3 तथा 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें।

ह०/- सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

------

## सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिय प्रपत्र।

### खण्ड - 1

1. (क) मृत सरकारी सेवक का नाम :-
   (ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे :-
   (ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण :-
   (घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि :-
   (ङ) स्थायी थे या अस्थायी :-
   (च) क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे :-
2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम :-
   (ख) उनका मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध :-
   (ग) जन्मतिथि :-
   (घ) शैक्षणिक योग्यता :-
   (ङ) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है ? यदि हाँ तो पूर्ण ब्योरा दें। :-
3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पत्ति का विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित —
   (क) पारिवारिक पेंशन :-
   (ख) डी०सी०आर० ग्रेच्युटी :-
   (ग) सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि :-
   (घ) जीवन बीमा पालिसी :-
   (ङ) चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय :-
4. देना पावना के संबंध में संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो :-

5. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का पूर्ण विवरण (यदि किन्हीं को पहले से नियोजन प्राप्त है तो उनका विवरण उनकी आय एवं यह भी कि वे संयुक्त रूप से रह रहे हैं या पृथक रूप से )

| क्रम संख्या एवं नाम | मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध एवं आयु । | सेवारत हैं या नहीं, सेवा का पूरा विवरण एवं कुल उपलब्धियाँ । |
|---|---|---|
| 1 - | | |
| 2 - | | |
| 3 - | | |
| 4 - | | |
| 5 - | | |
| 6 - | | |

## घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं । यदि उपर्युक्त कोई भी तथ्य भविष्य में गलत या झूठा पाया जायगा, तो मेरी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी की जा सकती है, जो उचित और अपेक्षित हो ।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

## खण्ड-2

1. (क) नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम :-
   (ख) मृत सरकारी सेवक से उसका संबंध :
   (ग) शैक्षणिक योग्यता, उम्र (जन्मतिथि) एवं अनुभव यदि कोई हो :-
   (घ) पद जिस पर नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है :-
   (ङ) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति के लिये भर्त्ती नियमावली में उपबन्ध है ? :-
   (च) क्या उम्मीदवार पद के लिये भर्त्ती नियमावली में विहित उपबन्ध की पूर्त्ति करता है ? :-
   (छ) नियोजनालय की प्रक्रिया को विमोचन करने के अलावे क्या अन्य कोई शिथिलीकरण की अपेक्षा है ? :-
2. क्या खण्ड । में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय / विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच कर ली गयी है ? यदि हाँ, तो ऐसे अभिलेख का उल्लेख करें । :-
3. यदि सरकारी सेवक की मृत्यु की अवधि दो वर्ष से अधिक की हो गयी हो तो मामले को यथासमय क्यों नहीं निर्देशित किया गया ? :-
4. विभागाध्यक्ष की अनुशंसायें :-

------

**[ 70 ]**

**संख्या 11478 का०**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष । दिनांक 5 जुलाई, 1979

विषय :- **सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप सं० 3/आर-304/73-का०-12754 दिनांक 12 जुलाई, 1977 जिसके द्वारा सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया गया है, की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि ऐसी नियुक्तियों में सामान्य जाति के व्यक्ति की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करनी हो और सामान्य कोटा की रिक्तियाँ नहीं हो तो वैसी दशा में आरक्षित कोटा में रिक्ति उपलब्ध रहने पर रिक्ति को कार्मिक विभाग की सहमति से अनारक्षित कर सामान्य जाति की नियुक्ति की जा सकती है । किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि आरक्षित कोटा के निर्धारित रिक्तियों की कुल संख्या में कमी नहीं होने पाये । जैसे ही सामान्य कोटा में रिक्तियाँ उपलब्ध हो जायँ उस रिक्ति को आरक्षित करते हुए आरक्षित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

---

**[ 71 ]**

**सं० 3/आर 1-302/75-6148**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

9 अप्रील 1979

विषय :- **चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 815, दिनांक 15 जनवरी 1979 की कंडिका-1 (ii) में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह (कारा) विभाग में चतुर्थवर्गीय वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु निम्न प्रकार चयन समिति गठित की जाय:-

गृह (कारा) विभाग

(1) सम्बन्धित केन्द्रीय कारा के अधीक्षक – अध्यक्ष ।

(2) एक केन्द्रीय कारा के अधीन पड़ने वाले मंडल कारा अधीक्षकों में से वरीयता अधीक्षक-सदस्य ।

(3) जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजकीय गजट में इसे प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, पटना एवं राँची/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
केशव मोहन ठाकुर,
सरकार के विशेष सचिव ।

❑ ❑ ❑